

# वित्त विधेयक, 2011

## वित्त विधेयक, 2011 से संबंधित उपबंध

### प्रस्तावना

वित्त विधेयक, 2011 के प्रत्यक्ष करों से संबंधित उपबंध, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 का संशोधन करने के लिए है,—

- (i) व्यष्टि कर दाताओं के मामले में आधारीक छूट बढ़ाना;
- (ii) वरिष्ठ नागरिकों की अर्हक आयु 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करना और ऐसे मामलों में वर्तमान छूट की सीमा को भी बढ़ाना;
- (iii) 80 वर्ष की आयु से अधिक के अत्यन्त वरिष्ठ नागरिकों को उच्चतर छूट सीमा प्रदान करना;
- (iv) कंपनियों के मामले में कर पर अधिभार घटाना;
- (v) अवसंरचना ऋण निधियों के गठन को सुकर बना कर के विदेशी उधारों को प्रोत्साहन देना;
- (vi) ऋण पारस्परिक निधियों द्वारा वितरित आय के कराधान को सुव्यवस्थित करना;
- (vii) सेज और उनमें प्रचालन कर रही इकाइयों के विकासकर्ताओं पर न्यूनतम अनुकल्पी कर (एमएटी) उद्गृहीत करना;
- (viii) सीमित दायित्व भागीदारियों के मामले में अनुकल्पी न्यूनतम कर (एमटी) का उद्ग्रहण करना;
- (ix) उन अधिकारिताओं के संबंध में, जिनके साथ सूचना के आदान प्रदान का अभाव है, प्रति उपायों का सेट प्रदान करना।
- (x) वर्ष 2011-12 के दौरान, भारतीय कंपनियों द्वारा उनकी विदेशी समनुषंगियों से प्राप्त लाभांश पर कर की रियायती दर प्रदान करना।

2. वित्त विधेयक, 2011, निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए कर हेतु दायी आयों पर आय-कर की दरों को, ऐसी दरों को, जिन पर वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान ब्याज (जिसके अंतर्गत प्रतिभूतियों पर ब्याज भी है) से स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी, लॉटरियों या वर्ग पहेली से जीत, घुड़दौड़, ताश के खेल से जीत की रकम और आय-कर अधिनियम के अधीन स्रोत पर कर की कटौती या संग्रहण के लिए दायी आय के अन्य प्रवर्गों; “अग्रिम कर” की संगणना के लिए दरों, “वेतन” से आय-कर की कटौती या उस पर कर का संदाय और वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए कतिपय मामलों में वर्तमान आय पर आय-कर प्रभारित करने की दरों को विहित करने के लिए है।

3. कतिपय अपवादों के अधीन रहते हुए, जिन्हें कर विधि के सुसंगत उपबंधों पर कार्यवाही करते समय उपदर्शित किया गया है, कर विधि के उपबंधों में परिवर्तनों को उनके प्रवर्तन में मामूली तौर पर भविष्यलक्षी करने का प्रस्ताव है।

4. प्रत्यक्ष करों से संबंधित विधेयक के मुख्य उपबंधों का सार निम्नलिखित पैराओं में स्पष्ट किया गया है।

### आय-कर

#### आय-कर की दरें

##### I. निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए कर के लिए दायी आय की बाबत आय-कर की दरें

निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए कर के लिए दायी निर्धारितियों के सभी प्रवर्गों की आय की बाबत आय की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-1 में विनिर्दिष्ट की गई हैं। ये वही दरें हैं जो “अग्रिम कर” की संगणना, “वेतन” से स्रोत पर कर की कटौती और कतिपय मामलों में संदेय कर के प्रभारण के प्रयोजनों के लिए वित्त अधिनियम, 2010 की पहली अनुसूची के भाग-3 में अधिकथित हैं।

##### (1) आय-कर पर अधिभार

निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए कर के लिए दायी आय की बाबत अधिभार निम्नलिखित मामलों में उद्गृहीत किया जाएगा:—

- (क) ऐसी देशी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, संगणित आय-कर की रकम को संघ के प्रयोजनों के लिए ऐसे आय-कर के साढ़े सात प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा;
- (ख) देशी कंपनी से भिन्न किसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, संगणित आय-कर की रकम को संघ के प्रयोजनों के लिए ऐसे आय-कर के ढाई प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा,

प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में जिसकी कुल आय, आय-कर अधिनियम, 1961 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् आय-कर अधिनियम कहा गया है) धारा 115 जख के अधीन कर से प्रभार्य है, अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा।

तथापि, इन सभी मामलों में यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक करोड़ रुपए से अधिक आय पर अधिभार सहित संदेय आय-कर की अतिरिक्त रकम उस रकम तक सीमित हो, जिससे आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, सीमांत राहत अनुज्ञात की जाएगी।

##### (2) शिक्षा उपकर

निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए, “आय-कर पर शिक्षा उपकर” और “आय-कर पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर” नामक अतिरिक्त अधिभार, सभी मामलों में अधिभार सहित, संगणित कर की रकम पर क्रमशः दो प्रतिशत और एक प्रतिशत की दर से उद्गृहीत किया जाता रहेगा। ऐसे उपकर की बाबत कोई सीमान्त राहत उपलब्ध नहीं होगी।

##### II. “वेतन” से भिन्न कतिपय आयों से वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती के लिए दरें

“वेतन” से भिन्न कतिपय आयों से वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती के लिए दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-2 में विनिर्दिष्ट की गई हैं। सभी प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए दरें वही रहेंगी जो वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए वित्त

अधिनियम, 2010 के भाग-2 में विनिर्दिष्ट हैं। तथापि, अधिसूचित अवसंरचना ऋण निधि द्वारा अनिवासी को संदत्त ब्याज आय के मामले में कटौती की दरों का अब प्रस्तावित नयी धारा 194ठख में उपबंध किया गया है।

### (1) अधिभार

देशी कंपनी से भिन्न किसी कंपनी की दशा में इस प्रकार कटौती की गई कर की रकम को, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आयों का योग कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है वहां ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा।

अन्य मामलों में कटौतियों के संबंध में कोई अधिभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

### (2) शिक्षा उपकर

भारत में अनिवासी व्यक्तियों की दशा में, जिसके अन्तर्गत देशी कंपनी से भिन्न कंपनियां भी हैं, जहां कहीं लागू हो, अधिभार सहित, आय-कर के क्रमशः दो प्रतिशत और एक प्रतिशत की दर से “आय-कर पर शिक्षा उपकर” और “आय-कर पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर” उद्गृहीत किया जाता रहेगा।

### III. वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान “वेतन” से स्रोत पर आय-कर की कटौती, अग्रिम कर की संगणना और विशेष दशाओं में आय-कर प्रभारित करने के लिए दरें

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान “वेतन” से स्रोत पर आय-कर की कटौती के लिए और सभी प्रवर्गों के निर्धारितियों की दशा में उक्त वर्ष के दौरान संदेय “अग्रिम कर” की संगणना से लिए भी दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 में विनिर्दिष्ट की गई हैं।

ऐसे मामलों में, जहां त्वरित निर्धारण किए जाने हैं, उदाहरणार्थ अनिवासियों को भारत में उद्भूत होने वाले पोत संबंधी लाभों का अनंतिम निर्धारण, वित्तीय वर्ष के दौरान हमेशा के लिए भारत छोड़ने वाले व्यक्तियों का निर्धारण, ऐसे व्यक्तियों का निर्धारण जिनके द्वारा कर से बचने के लिए संपत्ति अंतरित करने की संभावना है, अल्प कालावधि के लिए विरचित निकायों का निर्धारण, आदि, वहां ये दरें विद्यमान आयों पर वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान आय-कर प्रभारित करने के लिए भी लागू हैं।

उक्त भाग-3 में विनिर्दिष्ट दरों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित पैराओं में उपदर्शित की गई हैं—

### अ - व्यष्टि, हिन्दू अविभक्त कुटुंब, व्यक्तियों का संगम, व्यष्टियों का निकाय, कृत्रिम विधिक व्यक्ति

विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 को पैरा का आय-कर की निम्नलिखित दरों को उपबंधित करता है :—

(i) प्रत्येक व्यष्टि [नीचे (ii) (iii) और (iv) में जो उल्लिखित है, उससे भिन्न] या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के प्रत्येक संगम या व्यष्टियों के निकाय चाहे निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड(31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में (जो ऐसी दशा नहीं है, जिसको भाग-3 का कोई अन्य पैरा लागू होता है) हैं, आय कर की दरें निम्नानुसार हैं:—

1,80,000 रुपए तक	शून्य
1,80,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	10 प्रतिशत
5,00,001 रुपए से 8,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
8,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

(ii) ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी स्त्री है और पूर्ववर्ती वर्ष में किसी समय साठ वर्ष की आयु से कम है,—

1,90,000 रुपए तक	शून्य
1,90,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	10 प्रतिशत
5,00,001 रुपए से 8,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
8,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

(iii) ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्व वर्ष के दौरान में किसी समय साठ वर्ष या उससे अधिक आयु का है किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है,—

2,50,000 रुपए तक	शून्य
2,50,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	10 प्रतिशत
5,00,001 रुपए से 8,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
8,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

(iv) ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु का है,—

5,00,000 रुपए तक	शून्य
5,00,001 रुपए से 8,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
8,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

पहली अनुसूची के भाग -3 के पैरा क के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों की दशा में कोई अधिभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

### आ - सहकारी सोसाइटी

सहकारी सोसाइटीयों की दशा में, आय-कर की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 के पैरा ख में विनिर्दिष्ट की गई हैं। ये दरें वही बनी रहेंगी जो निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए विनिर्दिष्ट है। कोई अधिभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

## इ - फर्म

फर्मों की दशा में, आय-कर की दर विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 के पैरा ग में विनिर्दिष्ट की गई हैं। यह दर उसी प्रकार बनी रहेगी जो निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए विनिर्दिष्ट है। कोई अधिभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

## ई - स्थानीय प्राधिकारी

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, आय-कर की दर विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 के पैरा घ में विनिर्दिष्ट है। यह दर उसी प्रकार बनी रहेगी जो निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए विनिर्दिष्ट है। कोई अधिभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

## उ - कंपनी

कंपनियों की दशा में, आय-कर की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग - 3 के पैरा ड में विनिर्दिष्ट हैं। ये दरें वही हैं जो निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं।

किसी देशी कंपनी पर साढ़े सात प्रतिशत के विद्यमान अधिभार को कम कर के पांच प्रतिशत किए जाने का प्रस्ताव है। देशी कंपनियों से भिन्न कंपनियों की दशा में विद्यमान ढाई प्रतिशत के अधिभार को घटाकर दो प्रतिशत किए जाने का प्रस्ताव है।

तथापि, एक करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जो एक करोड़ रुपए से अधिक है।

सभी अन्य मामलों में (जिनके अन्तर्गत धारा 115अख, 115ण, 115द आदि भी हैं) साढ़े सात प्रतिशत के विद्यमान अधिभार को कम करके पांच प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए, सभी मामलों में "आय-कर पर शिक्षा उपकर" और "आय-कर पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर" नामक अतिरिक्त अधिभार, अधिभार सहित संगणित कर की रकम पर क्रमशः दो प्रतिशत और एक प्रतिशत की दर से उद्गृहीत किया जाता रहेगा। ऐसे उपकर के संबंध में कोई सीमांत राहत उपलब्ध नहीं होगी।

[खंड 2]

## "पूर्त प्रयोजन" की परिभाषा

आय-कर अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "पूर्त प्रयोजन" को धारा 2(15) में परिभाषित किया गया है जिसमें, अन्य बातों के साथ, "किसी साधारण लोक उपयोगी अन्य उद्देश्य को अग्रसर करना"। तथापि, "किसी साधारण लोक उपयोगी अन्य उद्देश्य को अग्रसर करना" तब पूर्त प्रयोजन नहीं है यदि उसमें किसी उपकर या फीस या किसी अन्य प्रतिफल के लिए किसी व्यापार, वाणिज्य या कारबार की प्रकृति का कोई क्रियाकलाप या किसी व्यापार, वाणिज्य या कारबार के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने का कोई क्रियाकलाप अन्तर्वलित है, चाहे ऐसे क्रियाकलाप से होने वाली आय का उपयोग या उपयोजन या प्रतिधारण किसी भी प्रकृति का हो और ऐसे क्रियाकलाप से पूर्ववर्ष में कुल प्राप्तियां 10 लाख रुपए से अधिक हैं।

ऐसे क्रियाकलापों से प्राप्तियों की बाबत चालू धनीय सीमा दस लाख रुपए से बढ़ा कर पच्चीस लाख रुपए तक किए जाने के लिए धारा 2(15) को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2012 से किया जाना प्रस्तावित है और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2012-13 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 3]

## संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की कतिपय परिलब्धियों पर छूट

आय कर अधिनियम के विद्यमान उपबंध जब तक अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट रूप से छूट न हो, "वेतन" शीर्ष के अधीन किसी कर्मचारी द्वारा प्राप्त किन्हीं परिलब्धियों या भत्तों के कराधान के लिए उपबंध करते हैं।

इस समय, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की विनिर्दिष्ट परिलब्धियों को उनकी सेवा-शर्तों, शासित करने वाले अपने-अपने अधिनियमों के समर्थकारी उपबंधों के परिणामस्वरूप कराधान से छूट प्राप्त है। संघ लोक सेवा आयोग सेवारत और साथ ही सेवानिवृत्त संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों द्वारा प्राप्त विनिर्दिष्ट परिलब्धियों और भत्तों की बाबत उस छूट का फायदा, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा, विस्तारित करने के लिए धारा 10 का संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी किए जाने के लिए प्रस्तावित है और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-09 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 4]

## अधिसूचित निकाय या प्राधिकरण या न्यास या बोर्ड या आयोग की विनिर्दिष्ट आय की छूट

आय-कर अधिनियम की धारा 10 में एक नया खंड अन्तः स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे ऐसे किसी निकाय, प्राधिकरण, बोर्ड, न्यास या आयोग की किसी विनिर्दिष्ट आय से छूट का उपबंध किया जा सके जिसे जन साधारण के फायदे के लिए किसी क्रियाकलाप को विनियमित करने या प्रशासित करने के उद्देश्य से किसी केन्द्रीय या राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है या गठन किया गया है या केन्द्रीय सरकार या राज्य द्वारा गठन किया गया है, परन्तु-

- वह किसी वाणिज्यिक क्रियाकलाप में नहीं लगा है, और
- उसे इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है।

ऐसे अस्तित्व को अधिसूचित करते समय छूट प्रदान की जाने वाली आय की प्रकृति और सीमा भी केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी।

ऐसे अधिसूचित अस्तित्व द्वारा आय की विवरणी फाइल करने का उपबंध करने के लिए अधिनियम की धारा 139 में पारिणामिक संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। इन संशोधनों को 1 जून, 2011 से प्रभावी करने का प्रस्ताव है।

[खंड 4, 23]

## अवसंरचना ऋण निधि

अवसंरचना सेक्टर के लिए विदेश से प्राप्त दीर्घकालिक कम लागत निधि में वृद्धि करने के लिए, समर्पित ऋण निधियों की स्थापना को सुकर बनाने का प्रस्ताव है। आय-कर अधिनियम की धारा 10, कुल आय की परिधि से कतिपय आयों को अपवर्जित करती है। आय-कर अधिनियम की धारा 10 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे किसी ऐसी अवसंरचना ऋण निधि को अधिसूचित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को समर्थकारी शक्ति प्रदान की जा सके, जो विहित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार स्थापित किया जाता है। इसे एक बार अधिसूचित किए जाने पर, ऐसी ऋण निधि को आय-कर से छूट प्राप्त होगी। तथापि, उससे आय की विवरणी फाइल, करने की अपेक्षा की जाएगी।

आय-कर अधिनियम की धारा 115क का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसी अधिसूचित अवसंरचना ऋण निधि से किसी अनिवासी द्वारा प्राप्त कोई ब्याज ऐसी ब्याज की आय की सकल रकम पर पांच प्रतिशत की दर से कराधेय होगी।

एक नई धारा 194 ठख अंतः स्थापित करने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसी अधिसूचित अवसंरचना ऋण निधि द्वारा अनिवासी को उसके द्वारा संदत्त किसी ब्याज पर पांच प्रतिशत की दर पर कर की कटौती की जाए।

इन संशोधनों को 1 जून, 2011 से प्रभावी करने का प्रस्ताव है।

[खंड 4, 15, 23, 27]

## विशेष आर्थिक जोनों की दशा में न्यूनतम अनुकल्पी कर (मैट) और लाभांश वितरण कर (डीडीटी) से संबंधित उपबंध

आय-कर अधिनियम की धारा 10कक के विद्यमान उपबंधों के अधीन, प्रथम पांच क्रमिक निर्धारण वर्षों के लिए वस्तुओं या चीजों से अथवा सेवाओं के निर्यात से विशेष आर्थिक जोन (सेज) में अवस्थित किसी यूनिट द्वारा व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों की बाबत शत प्रतिशत की कटौती, अतिरिक्त पांच निर्धारण वर्षों के लिए पचास प्रतिशत की कटौती, और तत्पश्चात् आगामी पांच वर्षों के लिए पारिणामिक निर्यात लाभ को पचास प्रतिशत कटौती अनुज्ञात की जाती है।

इसके अतिरिक्त, आय-कर अधिनियम की धारा 80झकख के अधीन, उस वर्ष से, जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा सेज अधिसूचित किया जाता है, आरंभ होने वाले पन्द्रह वर्षों में से किन्हीं दस क्रमिक निर्धारण वर्षों के लिए कुल आय से 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् अधिसूचित सेज के विकास के कारबार से किसी उपक्रम द्वारा व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों की बाबत शत प्रतिशत कटौती अनुज्ञात की जाती है।

धारा 115 जख (6) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी यूनिट या विशेष आर्थिक जोन (सेज) में, यथास्थिति, किसी उद्यम या किसी विकासकर्ता द्वारा किए गए किसी कारबार या प्रदान की गई सेवाओं से 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् प्रोद्भूत या उत्पन्न होने वाली आय की बाबत बही लाभ पर न्यूनतम अनुकल्पी कर (मैट) के संदाय से छूट अनुज्ञात की जाती है।

इसके अतिरिक्त, धारा 115ण (6) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, ऐसे उपक्रम या उद्यम की कुल आय की बाबत वितरित लाभ [लाभांश वितरण कर (डीडीटी)] पर कर के संदाय से छूट अनुज्ञात है, जो अपनी वर्तमान आय में से 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् लाभांशों (चाहे वे अन्तरिम हो या अन्यथा) के रूप में ऐसे विकासकर्ता या उद्यम द्वारा घोषित, वितरित या संदत्त किसी रकम पर किसी निर्धारण वर्ष के लिए किसी विशेष आर्थिक जोन के विकास या विकास और प्रचालन या विकास, प्रचालन और अनुसंधान में लगे हुए हैं। ऐसी वितरित आय को भी अधिनियम की धारा 10(34) के अधीन छूट प्राप्त है।

उपरोक्त उपबंध, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (सेज अधिनियम) द्वारा आयकर अधिनियम में 10 फरवरी, 2006 से अन्तः स्थापित किए गए थे।

वर्तमान में, सेज या किसी सेज में अवस्थित यूनिट के विकासकर्ता की दशा में न्यूनतम अनुकल्पी कर से छूट के लिए किसी अन्तिम तारीख का उपबंध नहीं किया गया है। इसी प्रकार, विशेष आर्थिक जोन के विकासकर्ता के मामले में लाभांश वितरण कर (डीडीटी) से छूट के लिए कोई अन्तिम तारीख नहीं है।

आय-कर अधिनियम और साथ ही विशेष आर्थिक जोन अधिनियम में विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ताओं और विशेष आर्थिक जोनों की यूनिटों के मामले में न्यूनतम अनुकल्पी कर से छूट की उपलब्धता को समाप्त करने का प्रस्ताव है।

आय-कर अधिनियम की धारा 115 जख का यह संशोधन 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2012-13 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

यह और प्रस्ताव है कि 1 जून, 2011 को या उसके पश्चात् घोषित, वितरित या संदत्त लाभांशों के लिए आय-कर अधिनियम और साथ ही विशेष आर्थिक जोन अधिनियम के अधीन विशेष आर्थिक जोन के विकासकर्ताओं के मामले में लाभांश वितरण कर से छूट की उपलब्धता को समाप्त किया जाए।

आय-कर अधिनियम की धारा 115ण का यह संशोधन 1 जून, 2011 से प्रभावी होगा।

आय-कर अधिनियम की धारा 10(34) के स्पष्टीकरण का लोप करके पारिणामिक संशोधनों को करने का भी प्रस्ताव है।

धारा 10(34) में यह संशोधन 1 जून, 2011 से प्रभावी होगा।

सेज अधिनियम की दूसरी अनुसूची के पैरा (क) [01.06.2011 से], पैरा (ज) [01.04.2012] से और पैरा (झ) [01.06.2011 से] के खंड (ग) का लोप करके विशेष आर्थिक जोन की दूसरी अनुसूची में पारिणामिक संशोधनों का भी प्रस्ताव किया गया है।

[खंड 4, 17, 19 और 76]

## अनुमोदित वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम के लिए किए गए अभिदाय के लिए भारित कटौती

आय-कर अधिनियम की धारा 35(2कक) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम के प्रयोजन के लिए किसी राष्ट्रीय प्रयोगशाला या किसी विश्वविद्यालय या किसी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) या किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को संदत्त किसी राशि के लिए 175 प्रतिशत तक की सीमा तक भारित कटौती अनुज्ञात की जाती है।

ऐसे अनुमोदित वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रमों में अधिक अभिदायों को प्रोत्साहित करने के लिए, इस भारित कटौती को 175 प्रतिशत से बढ़ाकर 200 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

इस संशोधन को 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी करने का प्रस्ताव है और तदनुसार, वह निर्धारण वर्ष 2012-13 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 5]

## विनिर्दिष्ट कारबारों की बाबत विनिधान संबद्ध कटौती

आय-कर अधिनियम की धारा 35 कघ के विद्यमान उपबंधों के अधीन "विनिर्दिष्ट कारबार" के प्रयोजनों के लिए सम्पूर्ण और अनन्यतः उपगत पूंजी प्रकृति (भूमि पर गुडविल और वित्तीय लिखत से भिन्न) के किसी व्यय की बाबत शत प्रतिशत कटौती अनुज्ञात करने के रूप में विनिधान संबद्ध कर प्रोत्साहन का उपबंध किया गया है। वर्तमान में, निम्नलिखित विनिर्दिष्ट कारबार धारा 35 कघ(8) (ग) के अधीन विनिधान संबद्ध कटौती का लाभ लेने के लिए पात्र हैं:-

- किसी शीत श्रृंखला सुविधा की स्थापना और प्रचालन;
- कृषि उत्पाद के भंडारण के लिए भांडागार सुविधा की स्थापना और प्रचालन
- वितरण के लिए क्रासकंट्री प्राकृतिक गैस या कच्चा या पेट्रोलियम तेल पाइप लाइन नेटवर्क बिछाना और उसका प्रचालन, जिसके अन्तर्गत भंडारण सुविधा भी है, जो ऐसे नेटवर्क का अविभाज्य भाग है;
- भारत में कहीं भी केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा वर्गीकृत दो सितारा या उससे ऊपर के प्रवर्ग के नए होटल का निर्माण और प्रचालन भी है;
- भारत में कहीं भी, मरीजों के लिए कम से कम एक सौ बिस्तरों वाले नए अस्पताल का निर्माण और प्रचालन;
- यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा गंदी बस्ती के पुनर्विकास या पुनर्वास के लिए विरचित की गई और बोर्ड द्वारा ऐसे मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, इस निमित्त अधिसूचित की गई, किसी स्कीम के अधीन किसी आवास परियोजना का विकास और निर्माण। "विनिर्दिष्ट कारबार" के रूप में दो नए कारबारों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव है; अर्थात्—

- यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा विरचित और इस निमित्त बोर्ड द्वारा उन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, अधिसूचित वहनीय आवास संबंधी स्कीम के अधीन किसी आवास परियोजना का विकास और निर्माण; और
- भारत में उर्वरक का उत्पादन।

"विनिर्दिष्ट कारबार" के प्रारंभ की तारीखें पात्रता की शर्त के रूप में धारा 35 कख (5) में विस्तृत रूप से बताई गई हैं। यह प्रस्ताव है कि वहनीय आवास परियोजनाओं के और किसी नए संयंत्र में या किसी विद्यमान संयंत्र में नई अधिष्ठापित क्षमता में उर्वरक के उत्पादन के दो "विनिर्दिष्ट कारबार" के प्रारंभ की तारीख 1 अप्रैल, 2011 को या उसके पश्चात् होगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2012-13 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

धारा 73क के अधीन, "किसी विनिर्दिष्ट कारबार" [धारा 35कघ के अधीन] की कोई हानि का किसी अन्य "विनिर्दिष्ट कारबार" के लाभों और अभिलाभों के प्रति मुजरा अनुज्ञात किया गया है। होटलों तथा अस्पतालों के कारबार की बाबत इस संबंध में किसी संदिग्धता को दूर करने के लिए, धारा 35 (8) (ग) के अधीन होटलों और अस्पतालों के मामले में "विनिर्दिष्ट कारबार" की परिभाषा से "नए" शब्द को हटाए जाने का प्रस्ताव है। इससे, धारा 35 कघ के अधीन कटौती का दावा करने वाले किसी "विनिर्दिष्ट कारबार" मद्दे किसी निर्धारिती की हानि का धारा 73क के अधीन किसी अन्य "विनिर्दिष्ट कारबार" के लाभ के प्रति मुजरा के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा, चाहे पश्चातवर्ती धारा 35 कघ के अधीन कटौती के लिए पात्र हो या नहीं। अतः, ऐसा कोई निर्धारिती जो इस समय किसी अस्पताल या होटल का प्रचालन करता है, ऐसे नए अस्पताल या नए होटल की जो 1 अप्रैल, 2010 के पश्चात् प्रचालन करना आरंभ करता है और जो धारा 35 कघ के अधीन व्यय की कटौती के लिए पात्र हैं, ऐसी हानि, यदि कोई हो, के प्रति ऐसे कारबार के लाभों का मुजरा करने में समर्थ होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2011 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2011-12 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 6]

## नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के लिए कर फायदे

अन्य बातों के साथ, आय-कर अधिनियम की धारा 80 गगघ, कर्मचारी की ओर से नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) लेखा में कर्मचारी और साथ ही नियोक्ता द्वारा किए गए अभिदायों की बाबत कटौती का उपबंध करता है। धारा 80 गगघ, के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, धारा 80 ग, धारा 80 गगघ और धारा 80 गगघ के अधीन एकल कटौती एक लाख रूपए से अधिक नहीं हो सकती। धारा 80 गगघ के अधीन अनुज्ञेय कटौती में नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में कर्मचारी और साथ ही नियोक्ता दोनों के अभिदाय सम्मिलित किए जाते हैं।

धारा 80 गगघ, का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 80 गगघ(2) के अधीन पेंशन प्रणाली में केन्द्रीय सरकार या किसी नियोक्ता द्वारा किया गया अभिदाय धारा 80 गगघ, के अधीन उपबंधित एक लाख रूपए की सीमा से अपवर्जित किया जाए।

वर्तमान में, किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में किसी नियोक्ता द्वारा किया गया अभिदाय, अनुमोदित अधिवर्षिता निधि या अनुमोदित उपदान निधि, कतिपय सीमाओं के अधीन रहते हुए धारा 36 के अधीन कारबार आय से कटौती के रूप में अनुज्ञेय है। तथापि, नई पेंशन प्रणाली में नियोक्ता द्वारा किए गए अभिदाय को, कटौती के रूप में अनुज्ञात नहीं किया गया है।

अतः, धारा 36 में संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निर्धारिती द्वारा नियोजक के रूप में अपने किसी कर्मचारी की बाबत धारा 80गगघ में यथानिर्दिष्ट किसी पेंशन स्कीम मद्दे अभिदाय के रूप में संदत्त कोई रकम उस सीमा तक जहां तक वह पूर्व वर्ष में कर्मचारी के वेतन के दस प्रतिशत से अधिक नहीं है, "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आप की संगणना करने में कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

इन संशोधनों को 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी किए जाने का प्रस्ताव है और तदनुसार वे निर्धारण वर्ष 2012-13 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 7, 8]

## दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्रों में निवेश के लिए कटौती

आय-कर अधिनियम की धारा 80गगघ के विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की कुल आय की संगणना में 20,000 रूपए की राशि (कर बचत के लिए धारा 80गगघ के अधीन उपलब्ध एक लाख रूपए की विद्यमान सीमा से ऊपर और अधिक) कटौती के रूप में तब अनुज्ञात है, यदि उस राशि को निर्धारण वर्ष 2011-12 से सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्रों में संदत्त या जमा किया जाता है।

वर्ष 2011-12 (निर्धारण वर्ष 2012-13) के लिए भी अधिसूचित दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्रों में निवेश मद्दे कटौती अनुज्ञात करने के लिए धारा 80गगघ का संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2012-13 के संबंध में लागू होगा।

[खंड 9]

## विद्युत क्षेत्र हेतु कर छूट के लिए सावधि-विधि खंड का विस्तार

आय-कर अधिनियम की धारा 80 झक(4) (iv) के विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी ऐसे उपक्रम को लाभ और अभिलाभों की कटौती अनुज्ञात है,—

- (क) जिसे विद्युत के उत्पादन और वितरण के लिए स्थापित किया गया है, यदि वह 1 अप्रैल, 1993 से आरंभ होने वाली और 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय विद्युत का उत्पादन आरंभ कर देता है;
- (ख) जो 1 अप्रैल, 1999 से प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय नई पारेषण या वितरण लाइनों का नेटवर्क बिछाकर पारेषण या वितरण आरंभ कर देता है;
- (ग) जो 1 अप्रैल, 2004 से आरंभ होने वाली और 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय पारेषण या वितरण लाइनों के विद्यमान नेटवर्क का सारवान् नवीकरण या आधुनिकीकरण प्रारंभ करता है।

इस अंतिम तारीख को एक और वर्ष अर्थात् 31 मार्च, 2012 तक की ओर अवधि के लिए विस्तारित करने के लिए धारा 80-झक (4) (iv) में संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2012-13 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 10]

## खनिज तेल के वाणिज्यिक उत्पादन में लगे कतिपय उपक्रमों के लिए कर छूट की समाप्ति

आय-कर अधिनियम, की धारा 80-झक (9) के विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी ऐसे उपक्रम को एक सात वर्षीय शत प्रतिशत लाभ-संबद्ध कटौती उपलब्ध है, यदि वह निम्नलिखित में से किसी को पूरा करता है, अर्थात् :-

- (i) वह पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवस्थित है और उसने 1 अप्रैल, 1997 से पूर्व खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ कर दिया है या आरंभ करता है;
- (ii) वह भारत के किसी भाग में अवस्थित है और उसने 1 अप्रैल, 1997 को या उसके पश्चात् खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ कर दिया है या आरंभ करता है;
- (iii) वह खनिज तेल के परिष्करण में लगा हुआ है और वह 1 अक्टूबर, 1998 को या उसके पश्चात् किंतु 31 मार्च, 2012 से अपश्चात् ऐसा परिष्करण आरंभ कर देता है;
- (iv) वह भारत सरकार द्वारा संकल्प सं. ओ-19018/22/95-ओएनजी.डीओ.वीएल; तारीख 10 फरवरी, 1999 द्वारा घोषित नई खोज अनुज्ञापन नीति के अधीन खोज संविदाएं प्रदान करने के लिए बोली के आठवें दौर (एनईएलपी-VIII) के अंतर्गत अनुज्ञप्त ब्लॉकों में प्राकृतिक गैस के वाणिज्यिक उत्पादन में लगा है और वह 1 अप्रैल, 2009 को या उसके पश्चात् प्राकृतिक गैस का वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ कर देता है।
- (v) वह कोयला बेड मीथेन ब्लॉकों के लिए खोज संविदाएं प्रदान करने हेतु बोली के चौथे दौर के अधीन अनुज्ञप्त ब्लॉकों में प्राकृतिक गैस के वाणिज्यिक उत्पादन में लगा है और वह 1 अप्रैल, 2009 को या उसके पश्चात् प्राकृतिक गैस का वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ कर देता है।

इस कटौती का दावा करने के प्रयोजनों के लिए, किसी एकल संविदा के अधीन अनुज्ञप्त ऐसे सभी ब्लॉकों को, जिन्हें भारत सरकार द्वारा संकल्प सं. ओ-1908/22/95-ओएनजी.डीओ.वीएल; तारीख 10 फरवरी, 1997 के द्वारा घोषित नई खोज अनुज्ञापन नीति के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसरण में या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी अन्य रीति में प्रदान किया गया है, एकल "उपक्रम" के रूप में माना जाता है।

इस प्रकार, ऐसा कोई उपक्रम, जो भारत के किसी भाग में अवस्थित है और खनिज तेल के वाणिज्यिक उत्पादन में लगा हुआ है, ऊपर उल्लिखित कटौती के लिए इस समय अनुज्ञात है, यदि उसने 1 अप्रैल, 1997 के पश्चात् किसी समय खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ कर दिया है या आरंभ करता है। ऐसे कारोबार के लिए किसी अंतिम तारीख का उपबंध नहीं किया गया है।

यह प्रस्ताव किया जाता है कि खनिज तेल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए उपलब्ध उपरोक्त कटौती, भारत सरकार द्वारा संकल्प सं. ओ-19018/22/95-ओएनजी.डीओ.वीएल; तारीख 10 फरवरी, 1999 द्वारा घोषित नई खोज अनुज्ञापन नीति के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसरण में या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी अन्य रीति में 31 मार्च, 2011 के पश्चात् प्रदान की गई संविदाओं के अधीन अनुज्ञप्त ब्लॉकों के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2012-13 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 11]

## अंतरण कीमत नियत करने संबंधी उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

क. आय-कर अधिनियम की धारा 92ग सन्निकट कीमत (एएलपी) की संगणना के लिए प्रक्रिया उपबंधित करती है। यह धारा एएलपी की संगणना की पद्धतियों का उपबंध करती है और यह आज्ञापक बनाती है कि एएलपी की संगणना के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति का चयन किया जाना चाहिए। यह भी उपबंधित है कि यदि चयन की गई पद्धति द्वारा एक अधिक कीमत अवधारित होती है तो, एएलपी को ऐसी कीमतों के गणितीय औसत के रूप में माना जाएगा। धारा 92ग(2) का दूसरा परंतुक यह उपबंध करता है कि यदि संव्यवहार की वास्तविक कीमत और ऊपर यथा अवधारित एएलपी के बीच का अंतर वास्तविक कीमत के 5% से अधिक नहीं है तो कोई समायोजन नहीं किया जाएगा और वास्तविक कीमत को एएलपी के रूप में माना जाएगा।

कारबार-क्रियाकलाप की सभी शाखाओं और अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों की संपूर्ण रेंज में 5% के नियत अंतर की उपयोगिता समाप्त हो गई है। अतः, अधिनियम की धारा 92ग का संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि 5% के अंतर के बजाय अनुज्ञेय अंतर ऐसा प्रतिशत होगा, जो इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी होना प्रस्तावित है और तदनुसार यह निर्धारण वर्ष 2012-13 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

ख. अधिनियम की धारा 92 गक यह उपबंध करती है कि अंतरण मूल्यांकन अधिकारी (टीपीओ) किसी ऐसे अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में सन्निकट कीमत का अवधारण कर सकता है, जो किसी निर्धारण अधिकारी द्वारा टीपीओ को निर्दिष्ट किया गया है।

धारा 92 गक का संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है, जिससे कि विनिर्दिष्ट रूप से यह उपबंध किया जा सके कि अंतरण मूल्यांकन अधिकारी की

अधिकारिता ऐसे अन्य अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों के संबंध में एएलपी के अवधारण को विस्तारित होगी, जो उसके पश्चात् उसके द्वारा उसके समक्ष की कार्यवाहियों के अनुक्रम में जानकारी में आते हैं। ये अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार, निर्धारण अधिकारी द्वारा टीपीओ को निर्दिष्ट अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों के अतिरिक्त होंगे।

ग. धारा 92 गक(7) यह उपबंध करती है कि एएलपी के अवधारण के प्रयोजन के लिए टीपीओ धारा 131(1) और धारा 133(6) के अधीन किसी निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ये शक्तियां मामले की जांच या उसके अन्वेषण के प्रयोजन के लिए समन करने या ब्यौरे मंगाने की ही शक्तियां हैं।

टीपीओ को उसी स्थान पर जांच और सत्यापन करने में समर्थ बनाने के लिए धारा 92गक(7) का संशोधन प्रस्तावित है जिससे कि टीपीओ को अधिनियम की धारा 133क के अधीन किसी आय-कर प्राधिकारी को प्रदत्त सर्वेक्षण शक्ति का प्रयोग करने में समर्थ बनाया जा सके।

इन संशोधनों को 1 जून, 2011 से प्रभावी करने का प्रस्ताव है।

घ. आय-कर अधिनियम की धारा 139 निर्धारण वर्ष की 30 सितंबर को कारपोरेट निर्धारितियों की दशा में आय की विवरणी फाइल करने के लिए अंतिम तारीख के रूप में अनुबंधित करती है। आय की विवरणी फाइल करने के अतिरिक्त ऐसे निर्धारितियों से, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार किए हैं, (धारा 92ड के उपबंधों के अधीन) आय की विवरणी फाइल करने की अंतिम तारीख से पूर्व प्ररूप 3गड ख में अंतरण मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने और फाइल करने की अपेक्षा की जाती है।

कारपोरेट निर्धारितियों, अपने अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 30 सितंबर से पूर्व समकालीन समतुलनीय डाटा तक पहुंच बनाने में व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। अतः, धारा 139 का संशोधन प्रस्तावित है जिससे ऐसे कारपोरेट निर्धारितियों द्वारा आय की विवरणी फाइल करने की अंतिम तारीख को विस्तारित करके निर्धारण वर्ष की 30 नवम्बर किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होना प्रस्तावित है।

[खंड 12, 13, 23]

### अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में अवस्थित व्यक्तियों के साथ संव्यवहारों के संबंध में प्रति उपायों का संग्रह

किसी निवासी निर्धारितियों द्वारा, किसी ऐसे देश या अधिकारिता में जो भारत के साथ प्रभावी रूप से सूचना का आदान-प्रदान नहीं करता है, अवस्थित व्यक्तियों के साथ संव्यवहारों को हतोत्साहित करने के लिए आय-कर अधिनियम में परिवर्जन रोधी उपायों का प्रस्ताव किया गया है।

अधिनियम की धारा 94क में एक नई धारा अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जो विनिर्दिष्ट रूप से ऐसे देश या क्षेत्र में अवस्थित व्यक्तियों के साथ किए गए संव्यवहारों से संबंधित है।

प्रस्तावित धारा निम्नलिखित के लिए उपबंध करती है कि,—

(1) केन्द्रीय सरकार को, भारत से बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र को, उसके द्वारा भारत के साथ सूचना के प्रभावी आदान-प्रदान की कमी को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने में समर्थ बनाने वाली शक्ति;

(2) यदि कोई निर्धारितियों ऐसा कोई संव्यवहार करता है, जहां जिसके पक्षकारों में से एक पक्षकार ऐसा व्यक्ति है, जो अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में अवस्थित है, तब संव्यवहार के सभी पक्षकारों को सहबद्ध उद्यम समझा जाएगा और इस संव्यवहार को एक अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार समझा जाएगा और तदनुसार ऐसे संव्यवहार को अंतरण मूल्यांकन विनियम लागू होंगे;

(3) किसी वित्तीय संस्था को किए गए किसी संदाय के संबंध में कोई कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जब तक निर्धारितियों, उसके निमित्त कार्रवाई करने वाले बोर्ड या किसी अन्य आय-कर प्राधिकारी को प्राधिकृत करते हुए विहित प्ररूप में प्राधिकार प्रस्तुत नहीं कर देता;

(4) किसी अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में अवस्थित किसी व्यक्ति के साथ संव्यवहार से उद्भूत होने वाले किसी अन्य व्यय या मोक (अवक्षयण सहित) के संबंध में अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन तब तक कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जब तक कि निर्धारितियों ऐसे अन्य दस्तावेज बनाए नहीं रखता और ऐसी सूचना प्रस्तुत नहीं करता, जो विहित की जाए;

(5) यदि अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में अवस्थित किसी व्यक्ति से कोई राशि प्राप्त होती है तो ऐसे व्यक्ति के या फायदाग्राही स्वामी के हाथों में ऐसे धन के स्रोत को समाधानप्रद रूप में स्पष्ट करने का भार निर्धारितियों पर है और ऐसा करने में उसके असफल रहने की दशा में उस रकम को निर्धारितियों की आय समझा जाएगा;

(6) अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में अवस्थित किसी व्यक्ति को किया गया कोई संदाय, अधिनियम के सुसंगत उपबंध में विनिर्दिष्ट दरों या प्रवृत्त दर या दरों की उच्चतर दर पर या 30 प्रतिशत की दर पर कर की कटौती के लिए दायी होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होना प्रस्तावित है।

[खंड 14]

### कतिपय विदेशी लाभांशों पर निम्न दर पर कराधान

आय-कर अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के अधीन, विदेशी कंपनियों से प्राप्त लाभांश निवासी शेयरधारक के हाथों में लागू कर की सीमांत दर से कराधेय हैं। अतः ऐसी भारतीय कंपनियों की दशा में, जो विदेशी लाभांश प्राप्त करती हैं, ऐसा लाभांश तीस प्रतिशत की दर और लागू अधिभार और उपकर से कराधेय है।

यह उपबंध करने के लिए एक नई धारा 15खख को अंतःस्थापित करना प्रस्तावित है कि जहां किसी भारतीय कंपनी के निर्धारण वर्ष 2012-13 से सुसंगत प्रतिवर्ष के लिए कुल आय में किसी विदेशी समनुषंगी कंपनी से प्राप्त लाभांशों के माध्यम से कोई आय सम्मिलित है, वहां ऐसे लाभांश, लाभांशों की कुल रकम पर पंद्रह प्रतिशत की दर से कराधेय (धन लागू अधिभार और उपकर) होगा। अधिनियम के अधीन ऐसे लाभांशों के संबंध में कोई व्यय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी किया जाना प्रस्तावित है और तदनुसार यह निर्धारण वर्ष 2012-13 के संबंध में लागू होगा।

[खंड 16]

## न्यूनतम अनुकल्पी कर

धारा 115अख(1) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी ऐसी कंपनी से उसके बही लाभ पर न्यूनतम अनुकल्पी कर (एमएटी) का संदाय करने की अपेक्षा की जाती है, यदि अधिनियम के अधीन 1 अप्रैल, 2011 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष के संबंध में यथा संगणित कुलआय पर संदेय आयकर, न्यूनतम अनुकल्पी कर से कम है। उक्त धारा के अधीन संदत्त कर की रकम को, उस निर्धारण वर्ष से, जिसमें धारा 115अकक के उपबंधों के अधीन कर प्रत्यय अनुज्ञेय हो जाता है, तुरंत उत्तरवर्ती दसवें निर्धारण वर्ष तक अग्रनीत करना और संदेय कर के प्रति उसका मुजरा करना अनुज्ञेय है।

न्यूनतम अनुकल्पी कर की दर को ऐसे बही लाभ के विद्यमान अठारह प्रतिशत की दर से बढ़ाकर साढ़े अठारह प्रतिशत करने के लिए इस धारा का संशोधन करना प्रस्तावित है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2012-13 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 17]

## सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) के लिए अनुकल्पी न्यूनतम कर

सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (एलएलपी) वर्ष 2009 से प्रभावी हुआ है। एलएलपी में किसी निगमित निकाय और साथ ही पारंपरिक भागीदारी, दोनों की विशेषताएं होती हैं। आय-कर अधिनियम, सीमित दायित्व भागीदारियों के लिए उसी करगणन व्यवस्था का उपबंध करता है जो किसी भागीदारी फर्म को लागू है। यह किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या किसी असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी से किसी एलएलपी में संपरिवर्तन पर कर निष्पक्षता (कतिपय शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए) का उपबंध भी करता है।

करगणन के लिए फर्म के रूप में मानी जा रही किसी एलएलपी को आय-कर अधिनियम के अधीन किसी कंपनी की तुलना में निम्नलिखित लाभ प्राप्त हैं:—

- (i) यह न्यूनतम अनुकल्पी कर के अध्याधीन नहीं है;
- (ii) यह लाभांश वितरण कर (डीडीटी) के अध्याधीन नहीं है; और
- (iii) यह अधिभार के अध्याधीन नहीं है।

लाभ संबद्ध कटौतियों के मुकाबले में कर आधार को बनाए रखने के लिए कतिपय सीमित दायित्व भागीदारियों से संबंधित विशेष उपबंधों को अंतर्विष्ट करने वाले एक नए अध्याय 12खक को आय-कर अधिनियम में अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित संशोधन के अधीन जहां किसी सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा किसी पूर्ववर्ष के लिए संदेय नियमित आय-कर न्यूनतम अनुकल्पी कर से कम है वहां ऐसी समायोजित कुल आय को ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी की कुल आय के रूप में समझा जाएगा और वह ऐसी कुल आय पर साढ़े अठारह प्रतिशत की दर से आय-कर का संदाय करने के लिए दायी होगी।

उपरोक्त के प्रयोजनों के लिए,

- (i) "समायोजित कुल आय" इस नए अंतःस्थापित अध्याय 12खक को प्रभावी करने से पूर्व ऐसी कुल आय होगी जिसे शीर्ष "ग-कतिपय आयों के संबंध में कटौतियां" के अधीन अध्याय 6क में सम्मिलित किसी धारा के अधीन दावा की गई कटौतियों, और धारा 10कक के अधीन दावा की गई कटौतियों, से अधिक हो जाती है।
- (ii) "अनुकल्पी न्यूनतम कर" साढ़े अठारह प्रतिशत की दर से समायोजित कुल आय पर संगणित कर की रकम होगी, और
- (iii) "नियमित आय-कर" द्वारा नए अंतःस्थापित अध्याय 12खक के उपबंधों से भिन्न अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उसकी कुल आय पर किसी सीमित दायित्व भागीदारी पूर्ववर्ष के लिए संदेय आय-कर होगा।

यह और उपबंध किया जाता है कि इस नए अंतःस्थापित अध्याय 12खक के अधीन किसी सीमित भागीदारी द्वारा संदत्त कर के लिए प्रत्यय (कर प्रत्यय) उसे उस सीमा तक अनुज्ञात किया जाएगा, जो नियमित आय-कर पर संदत्त अनुकल्पी न्यूनतम कर का आधिक्य है। यह कर प्रत्यय उस निर्धारण वर्ष से, जिसमें ऐसा प्रत्यय अनुज्ञेय हो जाता है, ठीक उत्तरवर्ती दसवें निर्धारण वर्ष तक अग्रनीत किए जाने के लिए अनुज्ञात होगा। उसे उस निर्धारण वर्ष के लिए, जिसमें नियमित आय-कर, अनुकल्पी न्यूनतम कर से अधिक है। अनुकल्पी न्यूनतम कर पर नियमित आय-कर के आधिक्य की सीमा तक मुजरा अनुज्ञात किया जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी किया जाना प्रस्तावित है और तदनुसार यह निर्धारण वर्ष 2012-13 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 18]

## यूनिट धारकों को वितरित आय पर कर का सुव्यवस्थीकरण

धारा 115द(2) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, कोई पारस्परिक निधि उसके यूनिट धारकों को वितरित आय की रकम पर अतिरिक्त करने पर रकम पर अतिरिक्त आय-कर का संदाय करने के लिए दायी है।

व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब से भिन्न किसी व्यक्ति को ऋण निधि द्वारा वितरित आय पर 30 प्रतिशत के उच्चतर दर पर अतिरिक्त आय-कर उद्गृहीत करने का प्रस्ताव है।

इसलिए, अधिनियम की धारा 115द(2) को संशोधित करने का प्रस्ताव किया जाता है जिससे कि निम्नलिखित दर पर विनिर्दिष्ट कम्पनी पारस्परिक निधि ऐसी वितरित आय पर अतिरिक्त आय-कर का संदाय करने की दायी हो सके-

- (क) द्रव्य बाजार पारस्परिक निधि या तरल निधि द्वारा वितरण की दशा में 25 प्रतिशत, यदि प्राप्तकर्ता कोई व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब है;
- (ख) द्रव्य बाजार पारस्परिक निधि या तरल निधि द्वारा वितरण की दशा में 30 प्रतिशत यदि प्राप्तकर्ता कोई अन्य व्यक्ति है;

(ग) द्रव्य बाजार, पारस्परिक निधि या तरल निधि से भिन्न ऋण निधि द्वारा वितरण की दशा में 12.5 प्रतिशत, यदि प्राप्तकर्ता व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब है; और

(घ) द्रव्य बाजार, पारस्परिक निधि या तरल निधि से भिन्न ऋण निधि द्वारा वितरण की दशा में, यदि प्राप्तकर्ता कोई अन्य व्यक्ति है, 30 प्रतिशत।

किसी व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब को वितरण की दशा में आय-कर की दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी साम्योन्मुखी निधि द्वारा आय का वितरण कर से छूट प्राप्त बना रहेगा।

यह संशोधन 1 जून, 2011 से प्रभावी होना प्रस्तावित है।

[खंड 20]

## भारत से बाहर कर प्राधिकारियों से प्राप्त अनुरोधों पर सूचना का संग्रहण

आय-कर अधिनियम की धारा 131(1) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, कतिपय कर-प्राधिकारियों को प्रकटीकरण और निरीक्षण, किसी व्यक्ति को हाजिर करवाने जिसके अंतर्गत बैंकारी कंपनी का कोई अधिकारी भी है और शपथ पर उसकी परीक्षा करने, लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों को पेश करने के लिए बाध्य करने तथा कमीशन जारी करने की बाबत वही शक्तियां प्रदत्त की गई हैं जो वाद की सुनवाई करते समय किसी सिविल न्यायालय को उपलब्ध हैं।

भारत से बाहर कर प्राधिकारियों से प्राप्त अनुरोधों पर सूचना के त्वरित संग्रहण को सुकर करने का प्रस्ताव है, जिन्होंने आय-कर अधिनियम की धारा 90 या धारा 90क के अधीन सूचना के विनिमय के लिए करार किया है।

तदनुसार, धारा 131 में उपधारा (2) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है। नई उपधारा यह उपबंध करती है कि धारा 90 या धारा 90क में निर्दिष्ट किसी करार के संबंध में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग की बाबत जांच या अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए, इस निमित्त बोर्ड द्वारा यथा अधिसूचित सहायक आयुक्त से अनिम्न पंक्ति के किसी आय-कर प्राधिकारी के लिए धारा 131(1) में निर्दिष्ट आय-कर प्राधिकारियों को वर्तमान में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करना समर्थकारी होगा। बोर्ड द्वारा इस प्रकार अधिसूचित प्राधिकारी, इस बात के होते हुए भी कि ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग की बाबत इसके या किसी अन्य आय-कर प्राधिकारी के समक्ष कोई कार्यवाहियां लंबित नहीं हैं, धारा 131(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए समर्थ होगा।

धारा 131(3) को संशोधित करने का और प्रस्ताव है जिससे कि बोर्ड द्वारा यथा अधिसूचित पूर्वोक्त प्राधिकारी को अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में इसके समक्ष प्रस्तुत किन्हीं लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों को जब्त करने या प्रतिधारित करने के लिए समर्थ बनाया जा सके।

आय-कर अधिनियम की धारा 133 में भी वैसे ही संशोधनों को प्रस्तावित किया गया है।

ये संशोधन 1 जून, 2011 से प्रभावी होंगे।

[खंड 21, 22]

## आय की विवरणी प्रस्तुत करने से व्यक्तियों के किसी वर्ग या वर्गों को छूट

आय-कर अधिनियम की धारा 139(1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, उस प्रत्येक व्यक्ति से यदि पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उसकी कुल आय उस अधिकतम रकम से अधिक होती है जो आय-कर से प्रभावी नहीं है, उसकी आय की विवरणी दाखिल करना अपेक्षित है।

वेतनभोगी कर दाताओं की दशा में, नियोक्ता द्वारा स्रोत पर कर कटौती के माध्यम से संपूर्ण कर दायित्व का निर्वहन किया जाता है। ऐसे कर दाताओं के संपूर्ण विवरण भी नियोक्ता द्वारा स्रोत पर कर कटौती विवरणियों (टीडीएस) द्वारा रिपोर्ट किए जाते हैं। इसलिए, उन दशाओं में, जहां आय का कोई अन्य साधन नहीं है, रिटर्न फाइल करना विद्यमान सूचना का दोहराव है।

छोटे कर दाताओं पर अनुपालन का बोझ कम करने के लिए, धारा 139 में उपधारा (1ग) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है। यह उपबंध केंद्रीय सरकार को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उस अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों को ध्यान में रखते हुए, आय की विवरणी दाखिल करने की अपेक्षा से व्यक्तियों के किसी वर्ग या वर्गों को छूट प्रदान करने के लिए सशक्त करता है।

यह उपबंध करने के लिए कि धारा 139(1ग) के अधीन जारी कोई अधिसूचना संसद् के समक्ष रखी जाए, धारा 296 के उपबंधों में पारिणामिक संशोधन करना भी प्रस्तावित है।

यह संशोधन 1 जून, 2011 से प्रभावी होंगे।

[खंड 23 और 32]

## केन्द्रीयकृत कार्यवाही केन्द्र में विवरणी पर कार्यवाही करने के लिए अधिसूचना

आयकर अधिनियम की धारा 143(1ख) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, केन्द्रीय सरकार, धारा 143(1क) के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि विवरणियों की कार्यवाही से संबंधित आय-कर अधिनियम के कोई उपबंध लागू नहीं होंगे या ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ लागू होंगे जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं। तथापि, ऐसा कोई निदेश 31 मार्च, 2011 के पश्चात जारी नहीं किया जाएगा।

धारा 143(1ख) में विद्यमान समय सीमा को अधिसूचना जारी करने के लिए 31 मार्च, 2012 तक बढ़ाने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होगा।

[खंड 24]

## सूचना के आदानप्रदान की दशा में निर्धारणों के लिए समय सीमा का विस्तार

आय-कर अधिनियम की धारा 153 निर्धारणों और पुनः निर्धारणों को पूरा करने के लिए समय सीमाओं का उपबंध करती है। आय-कर अधिनियम की धारा 153 के स्पष्टीकरण 1 में, उसमें विनिर्दिष्ट कतिपय अवधियों को निर्धारणों और पुनः निर्धारणों को पूरा करने के लिए परिसीमा की अवधि की गणना करते समय अपवर्जित किया जाता है।

भारत से बाहर स्थित अधिकारिता में कर प्राधिकारियों से सूचना प्राप्त करने में, निर्धारण या पुनः निर्धारण पूरा करने के लिए विहित कानूनी समय सीमा से धारा 90 या धारा 90क में निर्दिष्ट किसी करार के अधीन अवधि को अपवर्जित करने का प्रस्ताव है।

तदनुसार, धारा 153 के स्पष्टीकरण 1 में एक नया खंड (viii) अंतःस्थापित करना उस तारीख से, जिसको धारा 90 या धारा 90क में निर्दिष्ट किसी करार के अधीन प्राधिकारी द्वारा सूचना के आदानप्रदान के लिए कोई निर्देश किया जाता है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को जिसको इस प्रकार अनुरोध की गई सूचना आयुक्त द्वारा प्राप्त की जाती है, समाप्त होने वाली अवधि या छह मास की किसी अवधि, इनमें से जो भी कम हो, को अपवर्जित किया जाएगा।

आय-कर अधिनियम की धारा 153ख में वैसे ही संशोधन किए जाने प्रस्तावित हैं।

ये संशोधन 1 जून, 2011 से प्रभावी होंगे।

[ खंड 25 और 26 ]

## समझौता आयोग के समक्ष आवेदन फाइल करने के लिए शर्तों में उपांतरण

धारा 245ग(1) के परंतुक में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध, समझौता आयोग के समक्ष आवेदन करना अनुज्ञात करते हैं यदि--

(i) धारा 153क के अधीन या धारा 153ग के अधीन कार्यवाहियां आवेदक के विरुद्ध आरंभ कर दी गई हों और आवेदन में प्रकट की गई आय पर संदेय आय-कर की अतिरिक्त रकम पचास लाख रुपए से अधिक है;

(ii) अन्य मामलों में, यदि आवेदन में प्रकट की गई आय पर संदेय आय-कर की अतिरिक्त रकम दस लाख रुपए से अधिक हो।

कर दाता द्वारा समझौते के लिए आवेदन फाइल करने हेतु मानदण्ड विस्तृत करना प्रस्तावित है, जिसके मामले में लेखा बहियों की तलाशी या अध्यपेक्षा के परिणामस्वरूप कार्यवाहियां प्रारंभ कर दी गई हैं।

अतः धारा 245ग(1) के परंतुक में एक नया खंड (i) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है। यह अनुबंध करता है कि आवेदन वहां किया जा सकता है, जहां आवेदक-

(क) [ऊपर (i) में निर्दिष्ट] उस व्यक्ति से संबंधित है जिसके मामले में तलाशी के परिणामस्वरूप कार्यवाहियां प्रारंभ कर दी गई हैं और जिसने आवेदन फाइल किया है; और

(ख) ऐसा व्यक्ति है जिसके मामले में तलाशी के परिणामस्वरूप कार्यवाहियां भी प्रारंभ की गई हैं;

(ग) उसके आवेदन में प्रकट की गई आय पर संदेय आय-कर की रकम दस लाख रुपए से अधिक है।

इसके परिणामस्वरूप, कोई कर दाता जो तलाशी की विषयवस्तु है, समझौते के लिए आवेदन फाइल करने हेतु अनुज्ञात किया जाएगा यदि आवेदन में प्रकट की गई आय पर संदेय अतिरिक्त आय-कर पचास लाख रुपए से अधिक है। ऐसे कर दाता से संबंधित व्यक्ति, जो ऐसी तलाशी की विषय-वस्तु भी हैं, समझौते के लिए आवेदन फाइल करने हेतु अब अनुज्ञात होंगे, यदि उनके आवेदन में संदेय अतिरिक्त आय-कर, दस लाख रुपए से अधिक है।

ऐसा व्यक्ति जो धारा 245ग(1) के परंतुक के खंड (i) के अधीन आवेदन करता है तथा परंतुक के खंड (i) में वर्णित व्यक्ति के बीच नातेदारी धारा में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करके परिभाषित की गई है।

यह संशोधन 1 जून, 2011 से प्रभावी होगा।

[ खंड 28 ]

## समझौता आयोग द्वारा अपने आदेशों के परिशोधन की शक्ति

आयकर अधिनियम की धारा 245घ(4) के विद्यमान उपबंध यह उपबंधित करते हैं कि समझौता आयोग आवेदक और आयुक्त को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात इसके द्वारा प्राप्त होने वाले आवेदनों के अंतर्गत आने वाले मामलों पर आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे। इसके अतिरिक्त, धारा 245घ(1) के अधीन समझौता आयोग को अधिनियम के अधीन आय-कर प्राधिकारी में निहित सभी शक्तियां प्रदान की गई हैं। आय-कर प्राधिकारी को (धारा 154 के अधीन) अभिलेख से प्रकट किसी गलती को सुधारने के प्रयोजन के लिए इसके द्वारा पारित किसी आदेश को संशोधित करने की शक्ति है।

धारा 245घ में एक नई उपधारा (6ख) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे विनिर्दिष्ट रूप से यह उपबंध किया जा सके कि समझौता आयोग इसके द्वारा धारा 245घ(4) के अधीन उसके द्वारा पारित किसी आदेश का, अभिलेख से प्रकट किसी गलती को सुधारने की दृष्टि से, आदेश की तारीख से छह मास के भीतर किसी भी समय, संशोधन कर सकेगा।

यह और उपबंधित है कि ऐसा कोई परिशोधन, जिसका आवेदक के दायित्व को उपांतरित करने का प्रभाव है, तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक समझौता आयोग ने आवेदक और आयुक्त को ऐसा करने के अपने आशय की सूचना न दे दी हो और आवेदक तथा आयुक्त को सुने जाने का कोई अवसर प्रदान न किया हो।

वैसे ही आधारों पर पारिणामिक संशोधन धन-कर अधिनियम की धारा 22घ के उपबंधों में किया जाना प्रस्तावित है।

यह संशोधन 1 जून, 2011 से प्रभावी होंगे।

[खंड 29 और 34]

### दस्तावेज पहचान संख्यांक कोट करने की अपेक्षा का लोप

धारा 282ख में विद्यमान उपबंधों के अधीन प्रत्येक आय-कर प्राधिकारी किसी अन्य आय-कर प्राधिकारी या निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति को 1 जुलाई, 2011 को या उसके पश्चात् उसके द्वारा जारी की गई प्रत्येक सूचना, आदेश, पत्र या किसी पत्र व्यवहार के संबंध में कम्प्यूटर जनित दस्तावेज पहचान संख्यांक आवंटित करेगा और उसमें ऐसे संख्यांक को कोट किया जाएगा।

अखिल भारतीय आधार पर अपेक्षित अवसंरचना की अनुपलभ्यता के कारण होने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, पूर्वोक्त धारा का लोप किया जाना प्रस्तावित है।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से, 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होगा।

[खंड 30]

### संपर्क कार्यालयों की गतिविधियों की रिपोर्टिंग

विदेशी कंपनियों या फर्मों या व्यष्टियों के संगम भारत में भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन के पश्चात् शाखा या संपर्क कार्यालय द्वारा प्रचालित होती हैं। शाखा विदेशी अस्तित्व के स्थायी स्थापन का गठन करती है, और, इसलिए, उससे, अपेक्षित विवरणों के साथ आय की विवरणी फाइल करने की अपेक्षा की जाती है। कोई अनिवासी भारतीय इस आधार पर अपने संपर्क कार्यालय के संबंध में आय की विवरणी फाइल नहीं करता कि भारत में कोई कारबार गतिविधि करना अनुज्ञात नहीं है।

अनिवासियों से भारत में उनके संपर्क कार्यालयों की गतिविधियों के संबंध में नियमित सूचना प्राप्त करने का प्रस्ताव है। इसलिए, आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 285 अनिवासियों द्वारा उनके संपर्क कार्यालयों के संबंध में किसी वित्तीय वर्ष के अंत से साठ दिन के भीतर विहित प्ररूप में विहित विवरण प्रदान करने वाला एक वार्षिक विवरण फाइल करना बाध्यकार आज्ञापक बनाने के लिए प्रस्तावित है।

यह संशोधन 1 जून, 2011 से प्रभावी करने का प्रस्ताव है।

[खंड 31]

### भविष्य निधियों को मान्यता— कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से छूट प्राप्त करने के लिए समय सीमा का विस्तार

आय-कर अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची के भाग क का नियम 4 उन शर्तों का उपबंध करता है जो आय-कर अधिनियम के अधीन मान्यताप्राप्त करने या प्रतिधारण के लिए किसी भविष्य निधि द्वारा पूर्ण की, जाना अपेक्षित है। नियम 4 [खंड (डक)] की एक अपेक्षा यह है कि स्थापन कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17 के अधीन स्थापन छूट प्राप्त करेगा (ईपीएफ और एम.पी.अधिनियम)।

चतुर्थ अनुसूची के भाग क के नियम 3 में उपबंध है कि मुख्य आयुक्त या आयुक्त किसी ऐसी भविष्य निधि को मान्यता दे सकेगा जो उसकी राय में उक्त नियम 4 के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों को और ऐसी शर्तों को पूरा करती है जिसे बोर्ड, नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

नियम 3 के उपनियम (1) का पहला परंतुक, अन्य बातों के साथ यह विनिर्दिष्ट करता है कि ऐसे मामले में जहां किसी भविष्य निधि को 31 मार्च, 2006 को या उसके पूर्व मान्यता प्रदान की गई है वहां वह उस दशा में वापस ले ली जाएगी, यदि ऐसी निधि 31 दिसंबर, 2010 को या उससे पूर्व नियम 4के खंड (डक) में उपवर्णित शर्तों और ऐसी अन्य शर्तों को, जो बोर्ड इस निमित्त नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे, पूरा नहीं करती है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17के छूट चाहने वाले स्थापनों द्वारा किए गए आवेदनों को प्रक्रियागत करने के लिए और समय प्रदान करने हेतु परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि समय सीमा को 31 दिसंबर, 2010 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2012 किया जा सके।

यह संशोधन 1 जनवरी, 2011 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा।

[खंड 33]

## सीमाशुल्क

टिप्पण : (क) "सीमाशुल्क" से सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के अधीन उद्ग्रहीत सीमाशुल्क अभिप्रेत है।

(ख) "सीवीडी" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहीत अतिरिक्त सीमाशुल्क अभिप्रेत है।

(ग) "एसएडी" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन उद्ग्रहीत विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क अभिप्रेत है।

जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, परिवर्तन तुरंत प्रभावी होंगे।

**सीमाशुल्क के संबंध में प्रमुख प्रस्ताव निम्नलिखित हैं:**

### क. साधारण

1. संघ उत्पाद शुल्कों के संबंध में टैरिफ परिवर्तनों को प्रभावी करने के लिए विधेयक के खंड 57 द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची का संशोधन किया जा रहा है।
2. 2%, 2.5% और 3% की आधारिक सीमाशुल्क दरों को 2.5% की मध्यक दर पर एकीकृत किया जा रहा है।

**ख. टैरिफ दरों के संशोधन द्वारा या अधिसूचना द्वारा, शुल्क की दरों में परिवर्तन अंतर्वलित करने वाले प्रस्ताव**

#### I. खाद्य/कृषि प्रसंस्करण/कृषि

- (1) विनिर्दिष्ट कृषि मशीनरी जैसे धान रोपक, लेसर भूमि समतलक, रूई पिकर, कटाई-सह-बांधक, भूसा या चारा बेलरों, गन्ना हार्वेस्टर्स, ट्रैक टाइप कम्बाइन हार्वेस्टर विनिर्माण आदि के लिए प्रयुक्त ट्रैक पर मूल सीमाशुल्क को 5% से घटाकर 2.5% किया जा रहा है।
- (2) ऊपर (1) के उपस्कर के विनिर्माण के लिए अपेक्षित भागों और अवयवों पर आधारिक सीमाशुल्क को 7.5% से घटाकर 2.5% किया जा रहा है।
- (3) सूक्ष्म सिंचाई उपस्कर (टैरिफ मद 84248100) पर आधारिक सीमाशुल्क को 7.5% से घटाकर 5% किया जा रहा है।
- (4) अपरिष्कृत पिस्ते पर आधारिक सीमाशुल्क को 30% से घटाकर 10% किया जा रहा है।
- (5) धूप में शुष्कित काले बीजरहित किशमिश पर आधारिक सीमाशुल्क को 100% से घटाकर 30% किया जा रहा है।
- (6) क्रेनबेरी उत्पादों पर आधारिक सीमाशुल्क को 30% से घटाकर 10% किया जा रहा है।
- (7) आधारिक सीमाशुल्क से पूर्ण छूट को डी ऑइल्ड चावल की खली पर विस्तारित किया जा रहा है।
- (8) डीऑइल्ड चावल की खली के निर्यात पर 10% का निर्यात शुल्क अधिरोपित किया जा रहा है।

#### II. आटोमोबाइल

- (1) मूल सीमाशुल्क से पूर्ण छूट और एसएडी तथा रियायती सीवीडी 5% की दर पर (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क छूट के रूप में) हाइब्रिड यानों के विनिर्दिष्ट हिस्सों अर्थात् बैटरी पैक, बैटरी चार्जर्स, एसी/डीसी वैद्युत मोटरों और मोटर नियंत्रकों तक विस्तारित किया जा रहा है। रियायत वास्तविक उपयोक्ता दशा के अधीन है और 31.03.2013 तक उपलब्ध रहेगी।
- (2) सीमाशुल्क छूट और उपरोक्त (1) में 5% की दर पर रियायती सीवीडी ऐसे आयातकों द्वारा वैद्युत यानों के लिए स्पेयर बैटरी पैकों के आयात के लिए उपलब्ध कराई जा रही है जो अपारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की केन्द्रीय वित्तीय सहायता स्कीम के लिए अधिसूचित अभिकरणों के पास रजिस्ट्रीकृत हैं:
- (3) रियायती आयात शुल्क के लिए पात्र किसी यान के, जिसके अंतर्गत दुपहिया यान भी हैं, "कंपलीटली बॉक्स डाउन (सीकेडी) यूनिट" की परिभाषा को अंतः स्थापित किया जा रहा है, जिससे कि संयोजन-पूर्व इंजन या गियर बॉक्स या ट्रांसमिशन तंत्र या चेसिस को अंतर्विष्ट करने वाले ऐसे यूनिटों को उसके विस्तार से वहां अपवर्जित किया जा सके, जहां ऐसे भागों या उपसंयोजनों में से किसी को प्रतिष्ठापित किया गया है।

#### III. विशेष आर्थिक जोन:

- (1) एसईजेड से डीटीए को सभी समाशोधन 4% की दर पर एसएडी से छूट प्रदान किए जा रहे हैं परन्तु उन्हें वैट/विक्रय कर के उद्ग्रहण से छूट प्राप्त न हों।
- (2) विनिर्दिष्ट अध्यायों के अंतर्गत आने वाले मालों के स्क्रेप या अपशिष्ट से भारत में पुनः प्रसंस्कृत प्लास्टिक सामग्रियों को वर्तमान में सीवीडी छूट उपलब्ध है जिसे एसईजेड इकाईयों में विनिर्मित ऐसी प्लास्टिक सामग्रियों के घरेलू टैरिफ क्षेत्र समाशोधनों तक भी विस्तारित किया जा रहा है।

#### IV. पोत मरम्मत

पोत मरम्मत इकाईयों को समुद्र गामी यानों की मरम्मत के लिए अपेक्षित स्पेयर और कन्ज्यूमेबल के आयात पर वर्तमान में उपलब्ध छूट का लाभ भारत में रजिस्ट्रीकृत ऐसे यानों के स्वामियों द्वारा समुद्र गामी यानों की मरम्मत के लिए ऐसे स्पेयर और कन्ज्यूमेबल पर विस्तारित किया जा रहा है।

#### V. टेक्सटाइल

- (1) सभी श्रेणियों के अपरिष्कृत रेशम (नॉट थ्रोन) पर मूल सीमाशुल्क को 30% से घटाकर 5% किया जा रहा है।
- (2) सूत अपशिष्ट को आधारिक सीमाशुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की जा रही है।
- (3) वास्तविक उपयोक्ता दशा के अधीन, पॉली टेटरा मेथलीन ईथर ग्लाइकोल (पीटीएमईजी) और डाईफेनिल मीथेन 4,4-डाइआइसोसाइनेट (एमडीआई) पर मूल सीमाशुल्क को 7.5% से घटाकर 5% किया जा रहा है।
- (4) एक्रिलोनाइड्राइल पर आधारिक सीमाशुल्क को 5% से घटाकर 2.5% किया जा रहा है।
- (5) सोडियम पॉलीएक्रिलेट पर आधारिक सीमाशुल्क को 7.5% से घटाकर 5% किया जा रहा है।
- (6) फेप्रोलैक्टम पर आधारिक सीमाशुल्क को 10% से घटाकर 7.5% किया जा रहा है।
- (7) नाइलोन चिप्स, फाइबर और यार्न पर आधारिक सीमाशुल्क को 10% से घटाकर 7.5% किया जा रहा है।
- (8) रेयान काष्ठ गूदे पर आधारिक सीमाशुल्क को 5% से घटाकर 2.5% किया जा रहा है।

#### VI. पूंजी माल/अवसंरचना

- (1) कृषि और औद्योगिक उपयोग के लिए जल प्रदाय परियोजनाओं को सीमाशुल्क की पूर्ण छूट के क्षेत्र को छूट ऐसी परियोजनाओं के जल पंपिंग स्टेशन और जलाशयों तक लाकर बढ़ाया जा रहा है।
- (2) जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं के लिए "टनेल बोरिंग मशीन" और उसके पुर्जों को वर्तमान में उपलब्ध आधारिक सीमाशुल्क और सीवीबी से पूर्ण छूट का लाभ राजमार्ग विकास परियोजनाओं के लिए ऐसी मशीनों तक विस्तारित किया जा रहा है।
- (3) विनिर्दिष्ट रत्न और आभूषण मशीनरी के लिए आधारिक सीमाशुल्क को 7.5% से घटाकर 5% किया जा रहा है।
- (4) नकदी डिस्पेंसर्स को आधारिक सीमाशुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की जा रही है। वास्तविक उपयोक्ता के आधार पर पर नकदी डिस्पेंसर्स के विनिर्माण के लिए अपेक्षित पुर्जों को भी आधारिक सीमाशुल्क से छूट प्रदान की जा रही है।
- (5) उच्च गति मुद्रण मशीनरी को वर्तमान में लागू 5% आधारिक सीमाशुल्क, 5% सीवीडी और शून्य एसएडी की रियायती आयात शुल्क को रजिस्ट्रीकृत समाचार पत्र स्थापनों द्वारा आयतित ऐसी मुद्रण मशीनों के साथ संगत मेलरूम उपस्कर तक विस्तारित किया जा रहा है।
- (6) 5% आधारिक सीमाशुल्क, 5% सीवीडी और शून्य एसएडी की रियायती दर को 23 विनिर्दिष्ट उच्च वोल्टेज पारेषण उपस्करों के विनिर्माण के लिए पुर्जों और अवयवों तक विस्तारित किया जा रहा है।
- (7) आधारिक सीमाशुल्क से पूर्ण छूट को जैव आधारित एस फाल्टित सीलर और परिरक्षण अभिकर्ता; भ्रमीकर्तमन रिमूवर और दरार भरक, एसफाल्टिन रिमूवर और संक्षारण बचाव तथा जैव आधारित एसफाल्टित उपयोजनों के लिए फुहार प्रणाली पर विस्तारित किया जा रहा है।

#### VII. पर्यावरण अनुकूल मदों को रियायतें

- (1) 5% की दर पर रियायती सीवीडी (केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की छूट के रूप में) और एलईडी प्रकाश और प्रकाश फिक्सचर्स के विनिर्माण के लिए उपयोजित एलईडी को एसएडी से पूर्ण छूट प्रदान की जा रही है।
- (2) सौर लालटेन या लैम्पों पर आधारिक सीमाशुल्क को 10% से घटाकर 5% किया जा रहा है।
- (3) वास्तविक उपयोक्ता दशा पर सौर सेल या सौर प्रत्यास्थ के विनिर्माण के लिए आयातित सख्त ग्लास और रजत पेस्ट को सीमाशुल्क से पूर्ण छूट को विस्तारित किया जा रहा है।

#### VIII. स्वास्थ्य सेक्टर

- (1) एनडोवेसकुलर स्टेंट्स को 5% की आधारिक सीमाशुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की जा रही है।
- (2) 5% आधारिक सीमाशुल्क के रियायती आयात शुल्क रिजीम, वास्तविक उपयोक्ता शर्त पर सीरिंग सुईयों कैथेटर्स, कैन्यूल के विनिर्माण के लिए विनिर्दिष्ट कच्ची सामग्री पर 5% सीवीडी और शून्य एसएडी विहित किया जा रहा है।
- (3) खुदरा विक्रय के लिए आयातित पी और पी औषधों को एसएडी से पूर्ण छूट प्रदान की जा रही है।
- (4) चार विनिर्दिष्ट जीवन रक्षक औषधियों और उनकी प्रपुंज औषधियों पर सीमाशुल्क को शून्य सीवीडी के साथ 10% से घटाकर 5% किया जा रहा है (उत्पाद शुल्क की छूट के रूप में)।
- (5) होम्योपैथी औषधियों के विनिर्माण में उपयोग के लिए आधारिक सीमाशुल्कों को 25% से घटाकर 10% किया जा रहा है।

#### IX. इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर

- (1) 5% सीवीडी और शून्य एसएडी की रियायती आयात शुल्क संरचना को इंकजेट के भागों और ऐसे प्रिंटरों के विनिर्माण के लिए आयातित लेजर जेट प्रिंटरों हेतु।

- (2) पीसी संयोजक केबल और बैटरी चार्जर के भागों के उपभाग और संघटक हेंड फ्री के हेडफोन और मोबाइल हैंडसेट जिसमें सेलुलर फोन भी हैं, के पीसी संयोजक केबल को आधारिक सीमाशुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की जा रही है।
- (3) मोबाइल हैंडसेट जिसमें सेलुलर फोन भी सम्मिलित है, के विनिर्माण के लिए भागों, संघटकों और उपसाधनों पर इस समय 31.03.2011 तक उपलब्ध एसएडी से पूर्ण छूट को 31.03.2012 तक विस्तारित किया जा रहा है।
- (4) इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के विनिर्माण के लिए अतिरिक्त विनिर्दिष्ट पूंजी माल और कच्ची सामग्री को सीमाशुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की जा रही है।
- (5) वास्तविक उपयोक्ता दशा के अधीन डीवीडी रायटर्स, काम्बो ड्राइव और सीडी ड्राइव के विनिर्माण के लिए भागों पर 5% सीवीडी की रियायती आयात शुल्क और शून्य एसएडी को विहित किया जा रहा है।

#### X. वायुयान

- (1) गैर अनुसूचित प्रचालनों के लिए, वायुयानों के आयात पर 2.5% आधारिक सीमाशुल्क अधिरोपित किया जा रहा है। अतिरिक्त सीमाशुल्क (सीवीडी) और विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क (एसएडी) से छूट जारी रहेगी।
- (2) वायुयानों को इस समय उपलब्ध शिक्षा उपकरण और माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा उपकरण से छूट को वापस लिया जा रहा है।

#### XI. निर्यात संवर्धन

- (1) निर्यात के लिए चमड़े के माल के विनिर्माण में उपयोग के लिए आयातित किए जाने के लिए अनुज्ञात विनिर्दिष्ट माल की सूची को निर्यात के लिए विस्तारित किया जा रहा है।
- (2) टेक्सटाइल और चमड़े के वस्त्र के विनिर्माण में उपयोग के लिए मुक्त आयातित शुल्क अनुज्ञात किए जाने के लिए के लिए विनिर्दिष्ट माल की सूची को चोरी रोधी युक्तियों जैसे उसमें लैबल, टैग और सेंसर की सम्मिलित करके विस्तारित किया जा रहा है।
- (3) मदों की सूची में कुछ मदों के वर्णन में परिवर्तित किया जा रहा है जो टेक्सटाइल/चमड़े के वस्त्र और निर्यात के लिए अन्य चमड़े के माल के विनिर्माण के लिए मुक्त आयातित शुल्क के लिए अनुज्ञात है।
- (4) कुछ शर्तों के अधीन वणिग निर्यातकर्ताओं/उनके समर्थनकारी विनिर्माताओं द्वारा चमड़े के माल, जूतादि और टेक्सटाइल के लिए झालरों, अलंकरणों को शुल्क रहित आयात का फायदा विस्तारित किया जा रहा है।
- (5) हस्तशिल्प निर्यातकर्ताओं को मुक्त आयातित शुल्क के लिए अनुज्ञात हस्तशिल्प सेक्टर में उपयोग किए जाने वाले विनिर्दिष्ट औजारों को विनिर्दिष्ट माल, की सूची में सम्मिलित किया जा रहा है।
- (6) आधारिक सीमाशुल्क से पूर्ण छूट को फिन मछली के भोजन पर विस्तारित किया जा रहा है।
- (7) वेनामी ब्रूडस्टाक पर आधारिक सीमाशुल्क को 30% से घटाकर 10% किया जा रहा है।
- (8) अगरबत्ती के विनिर्माण के लिए उपयोग किए गए बांस पर आधारिक सीमाशुल्क 30% से घटाकर 10% किया जा रहा है।

#### XII. कागज

- (1) अपशिष्ट कागज पर आधारिक सीमाशुल्क को घटा कर 5% से घटाकर 2.5% किया जा रहा है।

#### XIII. धातु

- (1) आधारिक सीमाशुल्क से पूर्ण छूट को स्टेनलेस स्टील स्क्रैप पर विस्तारित किया जा रहा है।
- (2) फेरो निकल पर आधारिक सीमाशुल्क को 5% से घटाकर 2.5% किया जा रहा है।
- (3) 20% पर लौह अयस्क फाइन और प्रपिडक पर निर्यात शुल्क की प्रभावी दर का एकीकरण करते समय लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क की कानूनी दर को 20% से बढ़ाकर 30% किया जा रहा है।
- (4) लौह अयस्क गुटिकाओं को निर्यात शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की जा रही है।
- (5) ताम्र धातु मल, ताम्र अवशिष्ट, ताम्र आक्साइड मिल स्केल, पीतल धातुमल और जस्ता भस्म को एसएडी के उद्ग्रहण से छूट प्रदान की जा रही है।
- (6) वेनाडियम पेंटोक्साइड और वेनाडियम स्लज पर आधारिक सीमाशुल्क को 7.5% से घटाकर 2.5% किया जा रहा है।
- (7) ताम्र सांद्र में अंतर्विष्ट स्वर्ण और रजत के मूल्य पर आधारिक सीमाशुल्क से छूट प्रदान की जा रही है।

#### XIV. बहुमूल्य धातुएं

"शून्य आधारिक सीमाशुल्क प्रति 10 ग्राम 140 रूपए का सीवीडी और शून्य एस.एडी के आयात शुल्क को भारत में क्रमिक संख्यांकित स्वर्ण शालाकाओं के परिष्करण और विनिर्माण के लिए आयातित परिष्करण और विनिर्माण के लिए आयतित 80% स्वर्ण शुद्धता तक स्वर्ण डोर शालाकाओं के लिए विहित किया जा रहा है।

## XV. प्रकीर्ण

- (1) कार्बन ब्लैक फीड स्टॉक पर आधारीक सीमाशुल्क को 5% से घटाकर 2.5% किया जा रहा है।
- (2) पेट्रोलियम कोक पर आधारीक सीमा शुल्क को 5% से घटाकर 2.5% किया जा रहा है।
- (3) खनिज जिप्सम पर आधारीक सीमा शुल्क को 5% से घटाकर 2.5% किया जा रहा है।
- (4) वास्तविक उपयोक्ता के आधार पर लांड्री साबुन के विनिर्माण में उपयोग के लिए अपरिष्कृत ताड़ स्टेयरिन को आधारीक सीमाशुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की जा रही है।
- (5) वर्तमान में, कलाकृतियों और पुरावशेषों के विनिर्दिष्ट प्रवर्गों को सीमाशुल्क से छूट प्राप्त है। निम्नलिखित को सम्मिलित कर के छूट के क्षेत्र को विस्तारित किया जा रहा है
  - (क) प्राइवेट गैलेरी या उसी प्रकार के परिसर जो साधारण जनता के लिए खुले हैं, में प्रदर्शनी या संप्रदर्श के लिए कलाकृतियां और पुरावशेष;
  - (ख) विदेश में भारतीय कलाकार द्वारा सृजित कलाकृति, इस तथ्य को ध्यान दिए बिना कि किसी कलाकार या मूर्तिकार के उनके भारत लौटने पर उनके साथ ऐसे कार्य आयातित होते हैं।
- (6) भारत में आयातित कार्टिक सोडा लाई के आयातों पर 04-12-2009 से 03-03-2010 की अवधि के लिए भूतलक्षी रूप से निश्चायक रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करते हुए वित्त विधेयक में विशेष उपलब्ध किए जा रहे हैं।
- (7) केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी और 15-01-2003 के पश्चात निकाली गई आयात अनुज्ञप्तियों के अधीन नेशनल कंज्यूमर कापरेटिव फेडरेशन और मध्य प्रदेश स्टेट कोपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन द्वारा आयातित ताजे लहसुन को भूतलक्षी रूप से 30% की रियायती आधारीक सीमा शुल्क प्रदान करने के लिए वित्त विधेयक में विशेष उपबंध किया जा रहा है।
- (8) सर्वप्रथम इंडिया स्कीम, फोकस मार्केट स्कीम आदि जैसी को साथ ही निर्यातों के अधीन वैसे ही फायदा उपलब्ध कराने के लिए ईपीसीजी स्कीम के अधीन किए गए निर्मातों को अनुज्ञात करने के लिए भूतलक्षी प्रभाव से कुछ अधिसूचनाओं को संशोधित किया जा रहा है।

[क्रम सं. 6, 7, और 8 में परिवर्तन वित्त विधेयक के अधिनियमन पर प्रभावी होंगे]

## XVI. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में संशोधन

- (1) धारा 2, "निर्धारण" की परिभाषा के भीतर "स्वतः निर्धारण" सम्मिलित करने के लिए संशोधित की जा रही है।
- (2) धारा 17, आयातकर्ता या निर्यातकर्ता द्वारा आयातित और निर्यात माल पर शुल्क के "स्वतः निर्धारण" से निर्धारण की विद्यमान प्रणाली को बदलने के लिए संशोधित की जा रही है। पुनरीक्षित उपबंध स्वतः निर्धारण के सत्यापन करने और यदि अपेक्षित है, आयातित या निर्यातित माल पर शुल्क के पुनः निर्धारण के लिए सीमाशुल्क के अधिकारियों को सशक्त करते हैं। यह और उपबंधित किया जा रहा है कि अधिकारी कतिपय स्थितियों में या तो उनके स्वयं के कार्यालयों या परिसरों में संपरीक्षा संचालित कर सकेंगे।
- (3) धारा 18 उस दशा में लागू अनंतिम निर्धारण के उपबंधों को बनाने के लिए संशोधित की जा रही है जब कोई आयातकर्ता या निर्यातकर्ता "स्वतः निर्धारण" की प्रस्तावित स्कीम के साथ स्वतः निर्धारण करने में असमर्थ है।
- (4) धारा 19 उस शुल्क के अवधारण के संबंध में उपबंध एक समान करने के लिए संशोधित की जा रही है जहां वस्तुओं से बना माल धारा 17 के अधीन "स्वतः निर्धारण" की प्रस्तावित स्कीम के साथ शुल्क की विभिन्न दरों को दायी है।
- (5) धारा 27 की उपधारा (1) को प्रतिस्थापित किया जा रहा है जिससे कि शुल्क के दावा और ब्याज के प्रतिदाय के लिए समय सीमा छह मास से एक वर्ष बढ़ाया जा सके।
- (6) धारा 28 को प्रतिस्थापित किया जा रहा है जिससे कि उपबंधों को और संगत और स्पष्ट बनाया जा सके जो एक वर्ष तक सामान्य मामलों में मांग अवधि को सामंजस्य पूर्ण करने के लिए भी है।
- (7) धारा 28 कक और धारा 28कख पुनरीक्षित धारा 28 कक के साथ प्रतिस्थापित की जा रही है जिससे कि ब्याज से संबंधित उपबंधों को और संगत और स्पष्ट बनाया जा सके।
- (8) धारा 46 संशोधित की जा रही है जिससे कि आयातित माल की प्रविष्टि इलेक्ट्रानिक रूप में प्रस्तुत की जा सके और तब किसी अन्य रीति में प्रविष्टि को फाइल करने के लिए सीमाशुल्क आयुक्त को अनुज्ञात किया जा सके जब इलेक्ट्रानिक रूप में कोई प्रविष्टि प्रस्तुत करना असाध्य है।
- (9) धारा 50 संशोधित की जा रही है जिससे कि निर्यातित माल की प्रविष्टि इलेक्ट्रानिक रूप में प्रस्तुत की जा सके और तब अन्य रीति में प्रविष्टि को फाइल करने के लिए सीमाशुल्क के आयुक्त को सशक्त करने के लिए उपबंध किया जा सके जब इलेक्ट्रानिक रूप में कोई प्रविष्टि प्रस्तुत करना असाध्य हो।
- (10) धारा 75 का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि केन्द्रीय सरकार को ऐसी परिस्थिति या विहित करने में समर्थ बनाया जा सके जिनमें शुल्क वापसी तब भी अनुज्ञात नहीं होगी जब निर्यात प्रेषण विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है।
- (11) धारा 110क को संशोधित किया जा रहा है जिससे कि अभिग्रहित माल को निर्युक्त जाने के लिए अनुज्ञात करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को सशक्त किया जा सके।

- 12) धारा 124 संशोधित की जा रही है जिससे कि कोई अधिकारी जो सहायक सीमाशुल्क आयुक्त की पंक्ति से नीचे का न हो, के पूर्व अनुमोदन से कारण बताओ सूचना के जारी करने के लिए उपबंध किया जा सके ।
- 13) धारा 131घ, भूतलक्षी रूप से 20.10.2010 से राष्ट्रीय मुकदमा नीति के आधार पर कुछ मामलों में अपील के फाइल न करने से संबंधित अनुदेशों को जारी करने के लिए बोर्ड को सशक्त करने हेतु अंतःस्थापित की जा रही है।
- 14) एक नई धारा 142क अंतःस्थापित की जा रही है जिससे व्यतिक्रमी ऐसे व्यतिक्रमी से शोध्य सीमाशुल्क की वसूली के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 529क या बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 और वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति ब्याज का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संपत्ति पर प्रथम प्रभार सृजित किया जा सके।
- 15) धारा 150 संशोधित की जा रही है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि नीलामी में विक्रीत अदावाकृत स्थोरा के विक्रय आगमों के अधिशेष का सरकार को संदाय किया जा सके जब उसे छह माह की अवधि के भीतर स्वामी को संदत्त नहीं किया जा सकता ।
- 16) धारा 151 का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि सीमाशुल्क अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन किन्हीं अन्य मामलों पर, जहां तक उनका संबंध माल के आयात या निर्यात संबंधी निषेध, निर्बंधनों या प्रक्रिया से है, सीमाशुल्क प्राधिकारियों को भी अनुदेश करने के लिए बोर्ड को सशक्त करता है।
- 17) धारा 157 सीमाशुल्क के उचित अधिकारियों के कार्यालय या आयातकर्ता के परिसर में संपरीक्षा संचालित करने को रीति को विनिर्दिष्ट करने के लिए विनियमों को विहित करने हेतु बोर्ड को सशक्त करने के लिए संशोधित की जा रही है।

[ये विधायी परिवर्तन वित्त विधेयक के अधिनियमन पर प्रभावी होंगे।]

### **XVII सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975**

- 1) धारा 3 को विधेयक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के साथ बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 के प्रतिनिर्देश को प्रतिस्थापित करने के लिए 1-3-2011 से संशोधन किया जा रहा है।
- 2) धारा 9कक को संशोधित किया जा रहा है जिससे कि किसी वस्तु या आयातकर्ता पर धारा 9क की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क को कम करने के लिए केन्द्रीय सरकार को वहां समर्थ बनाया जा सके या जहां ऐसा आयातकर्ता केन्द्रीय सरकार के समाधान प्रद रूप में यह साबित करता है कि उसने उसके पाटन के वास्तविक मार्जिन से अधिक प्रतिपाटन शुल्क संदत्त किया है।
- 3) सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर और क्षति के अवधारण के लिए प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, निर्धारण और संग्रहण) नियम, 1995 का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि नियम 23 का पुनरीक्षण किया जा सके और प्रतिपाटन पर विश्व व्यापार संगठन करार के अनुच्छेद 11 के साथ समान उपबंधों को सम्मिलित किया जा सके और अहानिकर कीमत का अवधारण करने के लिए सिद्धांतों को अंतर्विष्ट करने वाले उपाबंध 3 को भी अंतःस्थापित किया जा सके ।

[ये विधायी परिवर्तन वित्त विधेयक के अधिनियमन पर प्रभावी होंगे]

### **XVIII सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूचियों में संशोधन**

- 1) पहली अनुसूची को संशोधित किया जा रहा है जिससे कि कतिपय अध्यायों में सुव्यवस्थित नामपद्धति प्रणाली (एच.एस.एन.) में संपादकीय परिवर्तनों को किया जा सके जो 01-01-2012 से प्रभावी होंगे।
- 2) पहली अनुसूची में शीर्ष 9804 के वर्णन में वैयक्तिक उपयोग के लिए आशयित डाक या वायुयान द्वारा आयातित सभी शुल्क्य मदों को सम्मिलित करने के लिए और शीर्ष के अधीन टैरिफ मदों के लिए 35% की टैरिफ दर विहित करने के लिए संशोधन किया जा रहा है।
- 3) दूसरी अनुसूची का संशोधन किया जा रहा है जिससे सुव्यवस्थित नाम पद्धति प्रणाली (एचएसएन) के साथ प्रविष्टियों को मिलाया जा सके और डिआयल्ड चावल चोकर खली के लिए नई प्रविष्टि को समाविष्ट किया जा सके। लौह अयस्क प्रपिंडकों, सूक्ष्म और गुटिकाओं और डिआयल्ड चावल चोकर खली से भिन्न सभी मदों पर निर्यात शुल्क की प्रभावी दरों को लागू रखा जा रहा है।

[(1) में उल्लिखित विधायी परिवर्तन वित्त विधेयक के अधिनियमन पर प्रभावी होंगे ]]

## केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

टिप्पण : जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, परिवर्तन तुरंत प्रभावी होंगे।

**केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में मुख्य प्रस्ताव निम्नलिखित हैं:**

### क. साधारण

संघ के उत्पाद शुल्कों से संबंधित टैरिफ परिवर्तनों को प्रभावी करने के लिए वित्त विधेयक के खंड 70 द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची का संशोधन किया जा रहा है।

### ख. चाहे टैरिफ दरों के संशोधन द्वारा या अधिसूचना द्वारा शुल्क की दरों में परिवर्तनों को अंतर्वलित करने वाले प्रस्ताव

- (1) उत्पाद शुल्क की 4% की रियायती दर को बढ़ाकर 5% किया जा रहा है। तदनुसार, शर्कर कंफेक्शनरी, पेस्ट्री और केक जैसे तैयार खाद्य पदार्थ; स्टार्चों; कागज और कागज की वस्तुएं, टेक्सटाइल मध्यवर्तियों और टेक्सटाइल माल; औषधि; चिकित्सीय उपकरणों आदि जैसी मर्दे अब 5% के बड़े हुए शुल्क के अधीन होंगे।
- (2) लगभग ऐसी 130 विनिर्दिष्ट मर्दों पर, जो अब तक या तो उत्पाद शुल्क से पूर्णतः छूट प्राप्त थीं या उत्पाद शुल्क की शून्य दर से प्रभार्य थीं, बिना सेनवेट प्रत्यय सुविधा के 1% का उत्पाद शुल्क अधिरोपित किया जा रहा है। इस नए उदग्रहण के अंतर्गत आने वाले सभी उत्पादों को साधारण एसएसआई छूट उपलब्ध होगी।
- (3) ब्रांड नाम वाले या ब्रांड नाम के अधीन विक्रीत तैयार परिधान और टेक्सटाइल मेड अप पर 10% उत्पाद शुल्क अधिरोपित किया जा रहा है। साधारण एसएसआई स्कीम के भी तैयार वस्त्रों और अन्य टेक्सटाइल मेड अप वस्तुओं पर विस्तारित किया जा रहा है। शुल्क को उनके खुदरा विक्रय मूल्य की 60% की दर पर टैरिफ मूल्य पर प्रभारित किया जाएगा।
- (4) स्वचालित करघों और प्रोजेक्टाइल करघों पर 5% का उत्पाद शुल्क अधिरोपित किया जा रहा है।
- (5) गैर-पारंपरिक सामग्री से विनिर्मित कागज की 3500 मीट्रिक टन तक की निवासियों को उपलब्ध उत्पाद शुल्क से छूट वापस ली जा रही है।
- (6) सीपीयू या लैपटॉप के भीतर फिटमेंट के लिए मदरबोर्ड से भिन्न कंप्यूटर के लिए माइक्रोप्रोसेसर; फ्लॉपी डिस्क ड्राइव; हार्ड डिस्क ड्राइव; सी-रोम ड्राइव; डीवीडी ड्राइवों/डीवीडी राइटर्स; फ्लैश मेमोरी और कॉम्बो ड्राइवों पर उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट वापस ली जा रही है। इन मालों पर 5% की उत्पाद शुल्क की रियायती दर लगाई जाएगी।

### ग. क्षेत्र विनिर्दिष्ट अनुतोष उपाय:

#### I. खाद्य/कृषि प्रसंस्करण:

निम्नलिखित को उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट विस्तारित की जा रही है,—

- (क) कृषि, बागवानी, डेयरी, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन, जलीय और समुद्री उत्पाद के परिरक्षण, भंडारण, परिवहन या प्रसंस्करण के लिए वातानुकूलन उपस्कर, पेनलों और शीत श्रृंखला अवसंरचना प्रतिष्ठापित करने के लिए प्रशीतन पेनलों।
- (ख) कृषि, बागवानी, डेयरी, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन, जलीय और समुद्री उत्पाद के परिरक्षण, भंडारण, परिवहन या प्रसंस्करण के लिए और खाद्यान्नों और शर्कर के भंडारण के लिए मंडियों और भांडागारों में शीत भंडारण में उपयोग के लिए कन्वेयर बेल्ट प्रणालियां।

#### II. पूंजी माल

- (1) विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन किसी विद्यमान वृहत्/परावृहत् विद्युत परियोजना के विस्तार के लिए अपेक्षित मालों पर, ऐसी परियोजनाओं के विस्तार के लिए माल के आयात पर सीवीडी से छूट के समान उत्पाद शुल्क छूट को विस्तारित किया जा रहा है।
- (2) विनिर्दिष्ट टेक्सटाइल मशीनरी के पुर्जों पर उत्पाद शुल्क को 10% से घटाकर 5% किया जा रहा है।
- (3) सिलार्ड मशीनों के विनिर्दिष्ट पुर्जे (अंतः निर्मित मोटरों वाले पुर्जे से भिन्न) को उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट विस्तारित की जा रही है।

#### III. पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा बचाने वाले माल:

- (1) ईंधन प्रकोष्ठ प्रौद्योगिकी पर आधारित हाइड्रोजन यानों के लिए उत्पाद शुल्क की 10% की रियायती दर विहित की जा रही है।
- (2) जीवाश्म ईंधन यानों को हाइब्रिड यानों में संपरिवर्तित करने के लिए हाइब्रिड किटों पर उत्पाद शुल्क को 10% से घटाकर 5% किया जा रहा है। ऐसी किटों के भागों पर 5% का शुल्क लागू होगा।

#### IV. सीमेंट:

सीमेंट और सीमेंट क्लीकरों पर शुल्क की दरों को निम्नानुसार पुनरीक्षित किया जा रहा है।

## लघु सीमेंट संयंत्र

सीमेंट	वर्तमान दर	प्रस्तावित दर
1. पैकेज रूप में निकासी किए गए,— (i) जिनका खुदरा विक्रय मूल्य 190 रूपए प्रति 50 किलो बैग या जिनका प्रति टन समतुल्य खुदरा विक्रय मूल्य 3800 रूपए से अनाधिक है; (ii) जिनका खुदरा विक्रय मूल्य 190 रूपए प्रति 50 किलो बैक से अधिक है या जिनका प्रति टन समतुल्य खुदरा विक्रय मूल्य 3800 रूपए से अधिक है;	185 रूपए प्रति टन	10% मूल्यानुसार
2. पैकेज रूप से भिन्न रूप में निकासी किए गए	315 रूपए प्रति टन	10% मूल्यानुसार + 30 रूपए प्रति टन
<b>लघु सीमेंट संयंत्र से भिन्न</b>		
<b>सीमेंट</b>	<b>वर्तमान दर</b>	<b>प्रस्तावित दर</b>
1. पैकेज रूप में निकासी किए गए,— (i) जिनका खुदरा विक्रय मूल्य 190 रूपए प्रति 50 किलो बैग या जिनका प्रति टन समतुल्य खुदरा विक्रय मूल्य 3800 रूपए से अनाधिक है; (ii) जिनका खुदरा विक्रय मूल्य 190 रूपए प्रति 50 किलो बैक से अधिक है या जिनका प्रति टन समतुल्य खुदरा विक्रय मूल्य 3800 रूपए से अधिक है;	215 रूपए प्रति टन	10% मूल्यानुसार
2. पैकेज रूप से भिन्न रूप में निकासी किए गए		
<b>सीमेंट क्लींकर</b>	<b>वर्तमान दर</b>	<b>प्रस्तावित दर</b>
1. पैकेज रूप में निकासी किए गए,— (i) जिनका खुदरा विक्रय मूल्य 190 रूपए प्रति 50 किलो बैग या जिनका प्रति टन समतुल्य खुदरा विक्रय मूल्य 3800 रूपए से अनाधिक है; (ii) जिनका खुदरा विक्रय मूल्य 190 रूपए प्रति 50 किलो बैक से अधिक है या जिनका प्रति टन समतुल्य खुदरा विक्रय मूल्य 3800 रूपए से अधिक है;	290 रूपए प्रति टन	10% मूल्यानुसार + 80 रूपए प्रति टन
2. पैकेज रूप से भिन्न रूप में निकासी किए गए	खुदरा विक्रय कीमत का 10%	10% मूल्यानुसार + 160 रूपए प्रति टन
	10% या 290 रूपए प्रति टन, इनमें जो भी अधिक है।	10% मूल्यानुसार
	375 रूपए प्रति टन	10% मूल्यानुसार + 200 रूपए प्रति टन

## V. स्वास्थ्य

सेनेटरी नेपकिनों, शिशु और नैदानिक डायपरों और व्यस्क डायपरों पर उत्पाद शुल्क को 10% से घटाकर सेनवेट प्रत्यय रहित 1% किया जा रहा है। टेक्सटाइल वैडिंग की समान वस्तुओं को भी यह रियायती शुल्क व्यवहार प्राप्त होगा।

## VI. जल आपूर्ति

- (1) पेयजल के, उसके स्रोत से संयंत्र तक और वहां से प्रथम भंडारण केन्द्र तक परिधान के लिए अपेक्षित पाइपों को वर्तमान में उपलब्ध उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट को ज्यायंट, एल्बो, कपलिंग आदि जैसी पाइप फिटिंगों पर भी विस्तारित किया जा रहा है।
- (2) दाबीकृत टैप वाटर का उपयोग करने वाले ऐसे जल फिल्टरों, जो विद्युत का उपयोग नहीं करते हैं और उनकी प्रतिस्थापनीय किटों पर 1% उत्पाद शुल्क की रियायती दर विस्तारित की जा रही है।

## VII. आटोमोबाइल सेक्टर

- (1) कारखाना निर्मित एंब्यूलेंसों पर 10% की दर से उत्पाद शुल्क की रियायती दर विस्तारित की जा रही है। कारखाने से हटाए जाने के पश्चात् एंब्यूलेंस के रूप में रेड्रोफिटिड अन्य यान प्रतिदाय आधारित रियायत के लिए पात्र बने रहेंगे।
- (2) टैक्सी प्रतिदाय स्कीम के विस्तार क्षेत्र को, उसमें चालक सहित 13 व्यक्तियों को ले जाने वाले यानों को सम्मिलित करने के लिए बढ़ाया जा रहा है।
- (3) टेक्सियों के लिए रियायती उत्पाद शुल्क संरचना को, यानों पर संदत्त उत्पाद शुल्क के 20% का प्रतिदाय करने का तब उपबंध करने, यदि वे हटाए जाने के पश्चात् टैक्सी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाते हैं, के लिए सुव्यवस्थीकरण किया जा रहा है।

- (4) विद्युत टिलरों के पुर्जों पर उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट को विस्तारित किया जा रहा है, जब उनकी निकासी उसी विनिर्माता के किसी अन्य कारखाने को विद्युत टिलरों के विनिर्माण के लिए की जाए।

#### VIII. कागज और कागज बोर्ड

- (1) कॉटन स्टॉक पार्टीकल बोर्डों को उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की जा रही है।
- (2) नालीदार डिब्बों को, चाहे उनकी बाहरी सतह पर दोहरी शीट चिपकाई गई हो अथवा नहीं, उत्पाद शुल्क की 5% की रियायती दर विस्तारित की जा रही है।
- (3) ग्रीसरोधी कागज और ग्लासीन कागज पर उत्पाद शुल्क को 10% से घटाकर 5% किया जा रहा है।

#### घ. बहुमूल्य धातुएं

- (1) क्रमिक रूप से संख्यांकित स्वर्ण छड़ों जो तोला छड़ों, से भिन्न हैं और जिन्हें अयस्क/सांद्र के प्रक्रम से आरंभ करते हुए उसी कारखाने में बनाया गया है, पर उत्पाद शुल्क को "280 रुपए प्रति 10 ग्राम" से घटाकर "200 रुपए प्रति 10" ग्राम किया जा रहा है।
- (2) 200 रुपए प्रति 10 ग्राम की रियायती उत्पाद शुल्क दर को स्वर्ण डोर बार के परिष्करण द्वारा विनिर्मित क्रमिक रूप से संख्यांकित स्वर्ण छड़ों पर भी विस्तारित किया जा रहा है।
- (3) ताम्र प्रगलन की प्रक्रिया के दौरान विनिर्मित तोला छड़ों से भिन्न क्रमिक रूप से संख्यांकित स्वर्ण छड़ों पर "300 रुपए प्रति 10 ग्राम" का उत्पाद शुल्क अधिरोपित किया जा रहा है।
- (4) अयस्क/सांद्र के प्रक्रम से आरंभ करते हुए स्वर्ण परिष्करण के दौरान या स्वर्ण डोर बार से या ताम्र प्रगलन की प्रक्रिया के दौरान विनिर्मित रजत पर "1500 रुपए प्रति कि.ग्रा" का उत्पाद शुल्क अधिरोपित किया जा रहा है।
- (5) ब्रांडीकृत आभूषणों और ब्रांडीकृत बहुमूल्य धातुओं की वस्तुओं पर 1% का उत्पाद शुल्क अधिरोपित किया जा रहा है।

#### ङ. टेक्सटाइल

- (1) जूट यार्न के लिए 10% के उत्पाद शुल्क की टैरिफ दर विहित की जा रही है, जबकि वही इसके साथ ही उसे उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान की जा रही है।

#### च. प्रकीर्ण

- (1) चमड़ा उद्योग में प्रयुक्त होने वाली एन्जाइमेटिक निर्मितियों को उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान की जा रही है।
- (2) 400 फुट और 1000 फुट के जंबो रोलों में रंगीन अनुदभासित सिनेमेटोग्राफिक फिल्म को उत्पाद शुल्क से (और इसलिए आयातों पर सीवीडीसे) पूर्ण छूट उपलब्ध कराई जा रही है।

#### छ. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 में संशोधन

- (1) 01.03.2011 से वाट और माप मानक अधिनियम, 1976 के निर्देश को विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 से प्रतिस्थापित करने के लिए धारा 4क का संशोधन किया जा रहा है।
- (2) धारा 11क, धारा 11कक, धारा कख और धारा क ग से उपबंधों को पुनःप्रारूपित किया जा रहा है, जिससे कि उन्हें स्पष्ट और सरल बनाया जा सके। मामलों के एक नए वर्ग को बनाया जा रहा है, जिनके संबंध में परिसीमा की अवधि पांच वर्ष होगी किंतु उन पर शुल्क के 50% की साधारण शास्ति लागू होगी। कारण बताओं सूचना का अधित्यजन और कार्यवाहियों की समाप्ति तब उपलब्ध होगी, यदि ऐसे मामलों में कारण बताओ सूचना जारी होने से पूर्व ब्याज और विनिर्दिष्ट शास्ति के साथ शुल्क का संदाय कर दिया जाता है।
- (3) कंपनी अधिनियम की धारा 529क, बैंक और वित्तीय संस्था को शोध्य ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 और वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनःसंरचना और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के उपबंधों के अधीन रहते हुए एक नई धारा 11ड. अंतः स्थापित की जा रही है, जिससे कि किसी व्यतिक्रमी से केन्द्रीय उत्पाद शोध्यों की वसूली के लिए व्यतिक्रमी की संपत्ति पर प्रथम प्रभार सृजित किया जा सके।
- (4) धारा 3क प्रारंभ करने की तारीख, अर्थात् 10.05.2008 से धारा 3क का निर्देश अंतः स्थापित करने के लिए धारा 12 का संशोधन किया जा रहा है।
- (5) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संयुक्त आयुक्त या अपर आयुक्त को किसी परिसर की स्वयं तलाशी लेने या किसी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी को तलाशी लेने के लिए प्राधिकृत करने हेतु सशक्त करने के लिए धारा 12च अंतःस्थापित की जा रही है।
- (6) 20.10.2010 के भूतलक्षी प्रभाव से एक नई धारा 35द अंतःस्थापित की जा रही है, जिससे बोर्ड को राष्ट्रीय मुकदमा नीति के अनुरूप कतिपय मामलों में अपील फाइल न करने से संबंधित अनुदेश जारी करने के लिए समर्थ बनाया जा सके।
- (7) धारा 38(2) का संशोधन किया जा रहा है, जिससे कि इसके उपबंधों को धारा 5ख के अधीन जारी अधिसूचनाओं को लागू किया जा सके।

[ये विधायी परिवर्तन वित्त विधेयक के अधिनियमन पर प्रभावी होंगे।]

**ज. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की अनुसूचियों में संशोधन**

- (1) विनिर्दिष्ट मदों के लिए 5% की टैरिफ दर विहित की जा रही है, जिन्हें सेनवेट प्रत्यय सुविधा के बिना 1% उत्पाद शुल्क की प्रभावी दर के अधधीन किया जा रहा है।
- (2) अध्याय 15 के अध्याय टिप्पण 5 का संशोधन किया जा रहा है, जिससे कि उसमें शीर्ष 1501, 1502, 1503, 1504, 1505 और टैरिफ मद 1516 1000 अंतःस्थापित की जा सके।
- (3) अध्याय 22 में एक अध्याय टिप्पण अंतः स्थापित किया जा रहा है, जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि इस अध्याय के उत्पादों के संबंध में, आधानों पर लेबल लगाना या पुनः लेबल लगाना या प्रपुंज पैकों से खुदरा पैकों में पैकिंग या पुनः पैकिंग या उपभोक्ता के उत्पाद को विपणनीय बनाने के लिए किसी उपचार को अपनाना, विनिर्माण के समतुल्य होगा।
- (4) अध्याय 26 में एक अध्याय टिप्पण अंतः स्थापित किया जा रहा है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि इस अध्याय के उत्पादों के संबंध में, अयस्कों को सांद्रो से संपरिवर्तित करने की प्रक्रिया "विनिर्माण" की कोटि में आएगी।
- (5) अध्याय 63 में दो अध्याय टिप्पण अंतः स्थापित किए जा रहे हैं जिससे कि "ब्रांड नाम" पद को परिभाषित किया जा सके तथा यह उपबंध किया जा सके कि उत्पाद पर ब्रांड नाम लगाना आधानों पर लेबल लगाना या पुनः लेबल लगाना या स्थूल पैकों से खुदरा पैकों में पैक करना या पुनः पैक करना अथवा उत्पाद को उपभोक्ता के लिए विपणनीय बनाने के लिए किसी अन्य उपचार को अंगीकृत करना "विनिर्माण" की कोटि में आएगा।
- (6) अध्याय 71 में एक अध्याय टिप्पण अंतः स्थापित किया जा रहा है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि डोर बार के परिष्करण की प्रक्रिया "विनिर्माण" की कोटि में आएगी।
- (7) रजत चूर्ण, रजत अनगढ़ और विशिष्ट रूपों में अर्ध विनिर्मित रजत पर उत्पाद शुल्क की टैरिफ दर को शून्य से बढ़ाकर 10% किया जा रहा है।
- (8) अध्याय 72 में एक अध्याय टिप्पण अंतः स्थापित किया जा रहा है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस अध्याय के उत्पादों के संबंध में "गाल्वैनीकरण" की प्रक्रिया विनिर्माण की कोटि में आएगी।
- (9) कतिपय अध्यायों में नामपद्धति की सुव्यवस्थित प्रणाली में संपादकीय परिवर्तनों को सम्मिलित करने के लिए पहली अनुसूची को भी संशोधित किया जा रहा है, जो 01.01.2012 से प्रभावी होगी।
- (10) तीसरी अनुसूची को कतिपय विशिष्ट माल को सम्मिलित करने के लिए संशोधित किया जा रहा है, जिन्हें धारा 4क के अधीन अधिसूचित किया गया था। यह परिवर्तन वित्त विधेयक के अधिनियमन पर प्रभावी होगा।

**झ. केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम 2004 में संशोधन:**

- (1) इनपुट, इनपुट सेवाओं, पूंजी माल, छूट प्राप्त माल और छूट प्राप्त सेवाओं की परिभाषाओं को परिवर्तित और स्पष्ट करने के लिए भी नियम 2 का संशोधन किया जा रहा है।
- (2) रियायती मालों पर शुल्क के संदाय के लिए प्रत्यय का उपयोग अननुज्ञात करने के लिए नियम 3 और नियम 4 का संशोधन किया जा रहा है (जिसकी बाबत इस शर्त के अधीन कि इनपुट और इनपुट सेवाओं पर कोई केंद्रीय मूल्यवर्धित कर नहीं लिया जा रहा है, पूर्ण छूट से भिन्न कोई छूट प्राप्त नहीं की जा रही है)।
- (3) नियम 3 को भूतलक्षी रूप से 18.04.2006 से यह उपबंध करने के लिए कि धारा 66क के अधीन संदत्त सेवा कर का प्रत्यय भी अनुज्ञेय होगा, संशोधन किया जा रहा है। यह परिवर्तन वित्त विधेयक के अधिनियमन पर प्रभावी होगा।
- (4) पोत विघटन इकाईयों द्वारा केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय प्राप्ति को विघटन के लिए पोत के आयात के समय संदत्त अतिरिक्त सीमा शुल्क के 85% तक निर्बंधित किया जा रहा है।
- (5) नियम 4(7) को आगत सेवा वापस प्राप्त करने के बीजक मद्दे किए गए किसी संदाय के मामले में केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय के परिवर्तन हेतु उपबंध करने के लिए संशोधित किया जा रहा है।
- (6) नियम 6 को निम्नलिखित के लिए संशोधित किया जा रहा है,—
  - (क) छूट प्राप्त सेवाओं के मूल्य के 6% के संदाय की अपेक्षा को घटाकर 5% करना
  - (ख) नियम 6(3क) में आबंटन सूत्र के अनुसार मात्र आगत सेवा प्रत्यय की रकम को परिवर्तित करने तथा आगतों के लिए पृथक लेखा अनुरक्षित करने का उपबंध करना;
  - (ग) यह उपबंध करना कि इस नियम के अधीन किया गया संदाय अनुयोज्य छूट के प्रयोजन के लिए प्रत्यय का लाभ लेना नहीं माना जाएगा;
  - (घ) उन मामलों में जहां सेवाओं का मूल्य सुस्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है और कर का संग्रहण विवृत या विनिर्दिष्ट सिद्धांत पर किया जाता है, सेवाओं का मूल्य स्पष्ट करना;

(ड.) नियम 6(5) का लोप किया जा रहा है।

- (7) नियम 6(3 ख) यह उपबंध करने के लिए समाविष्ट किया जा रहा है कि प्राप्त किए गए केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय का केवल 50% बैंककारी कंपनी और वित्तीय संस्थान द्वारा "बैंककारी और अन्य वित्तीय सेवाओं" के अधीन सेवा कर के संदाय मद्दे उपयोग हेतु उपलब्ध रहेगा।
- (8) नियम 6 (3ग) यह उपबंध करने के लिए समाविष्ट किया जा रहा है कि प्राप्त किए गए केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय का केवल 80% यू.एल.आई.पी. के अधीन जीवन बीमा सेवा और विनिधान के प्रबंधन प्रदाताओं द्वारा सेवा कर के संदाय मद्दे उपलब्ध रहेगा।
- (9) एक नया नियम 6 (6क) यह उपबंध करने के लिए अंतः स्थापित किया जा रहा है कि उक्त नियम के उपनियम (1), (2), (3) और (4) के उपबंध सेवा कर के संदाय के बिना एसईजेड इकाई या विकासकर्ता को प्रदत्त कराधेय सेवाओं को लागू नहीं होंगे।

**ज. औषधीय और प्रसाधन विनिर्मितियां (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955 का संशोधन**

- (1) अनुसूची के स्पष्टीकरण 3 को बांट और माप मानक अधिनियम, 1976 को विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के प्रतिनिर्देश से 01.03.2011 से प्रतिस्थापित करने हेतु संशोधित किया जा रहा है।

[ऊपरवर्णित विधायी परिवर्तन वित्त विधेयक के अधिनियमन पर प्रभावी होगा]

**ट. अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957**

चीनी और टैक्सटाइल मर्चों को अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 की अनुसूची से लोप किया जा रहा है।

[ऊपरवर्णित विधायी परिवर्तन वित्त विधेयक के अधिनियमन पर प्रभावी होगा]

## सेवा कर

### I. निम्नलिखित विनिर्दिष्ट सेवाओं पर सेवा कर अधिरोपित किया जा रहा है :

- (1) वातानुकूलित रेस्टोरेंटों जिनके पास भोजन और/या सुपेयों को परोसने के संबंध में एल्कोहालिक सुपेयों को परोसने के लिए अनुज्ञप्ति है, द्वारा प्रदान की गई सेवाएं।
- (2) किसी होटल, सराय, अतिथि गृह, क्लब या कैंप स्थल या किसी अन्य वैसे ही स्थापन द्वारा तीन मास से कम की सतत अवधि के लिए उपलब्ध कराया गया अल्पकालिक आवास।

उपरोक्त सेवाएं वित्त विधेयक, 2011 के अधिनियमन के पश्चात् अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रभावी होंगी।

### II कतिपय विद्यमान सेवाओं की परिधि का निम्नलिखित रूप में विस्तार किया जा रहा है या उनमें परिवर्तन किया जा रहा है:

- (1) जीवन बीमा सेवा की परिधि को जीवन बीमा कारबार करने वाले पुनः बीमाकर्ता सहित किसी बीमाकर्ता द्वारा किसी पालिसी धारक या किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई गई सेवाओं को सम्मिलित करने के लिए व्यापक बनाया जा रहा है। यह भी उपबंध किया जा रहा है कि कर उस प्रीमियम से भिन्न प्रीमियम, जो विनिधान के लिए तब आबंटित किया जाता है जब प्रीमियम का वितरण किसी धारक को प्रदान किए गए किसी दस्तावेज में पृथक्कृत: दर्शाया गया है, के भाग पर प्रभारित किया जाएगा। समेकित दर को भी 1% से बढ़ाकर 1.5% किया जा रहा है।
- (2) "क्लब या संगम सेवा" की परिधि का भी गैर-सदस्यों को उपलब्ध कराई गई सेवा को इसके दायरे में सम्मिलित करने के लिए विस्तार किया जा रहा है।
- (3) "प्राधिकृत सर्विस स्टेशन" की परिधि का निम्नलिखित को शामिल करने के लिए विस्तार किया जा रहा है:—
  - (क) किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सेवाएं;
  - (ख) माल वहन के लिए मोटर यानों से भिन्न सभी मोटर यानों और तिपहिया स्कूटर आटो रिक्शा; और
  - (ग) पहले से ही शामिल की गई सेवाओं सहित यानों की बाबत सजावट की सेवाएं और अन्य वैसी ही सेवाएं भी।
- (4) "कारबार अवलंब सेवाएं" की परिभाषा का संशोधन किया जा रहा है जिससे किसी रीति में प्रचालन या प्रशासनिक सहायता के रूप में प्रदान की गई सेवाओं को सम्मिलित किया जा सके।
- (5) विधिक परामर्श सेवाओं की परिधि का निम्नलिखित को उसकी परिधि में लाकर विस्तार किया जा रहा है :
  - (क) किसी भी रीति में विधि की किसी शाखा में सलाह, परामर्श या सहायता के संबंध में कारबार अस्तित्व द्वारा व्यष्टियों को प्रदान की गई सेवा;
  - (ख) किसी कारबार अस्तित्व को किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सादृश्यमूलक सेवा (व्यष्टियों को प्रदान की गई सादृश्यमूलक सेवाओं को छूट मिलती रहेगी); और
  - (ग) किसी कारबार अस्तित्व को माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा प्रदान की "माध्यस्थम्" सादृश्यमूलक सेवा।
- (6) वाणिज्यिक प्रशिक्षण या कोचिंग सेवा में, "वाणिज्यिक प्रशिक्षण या कोचिंग केन्द्र" की परिभाषा का संशोधन किया जा रहा है जिससे उस तथ्य को ध्यान में लाए बिना सभी गैर मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों को कर दायरे के भीतर लाया जा सके कि ऐसे पाठ्यक्रम किसी ऐसी संस्था द्वारा संचालित किए जाते हैं जो उन पाठ्यक्रमों का भी संचालन करती है जिनके परिणामस्वरूप मान्यताप्राप्त डिग्री या डिप्लोमा का अनुदत्त किया जाना हो।
- (7) स्वास्थ्य सेवाओं की परिधि का निम्नलिखित को सम्मिलित करके विस्तार किया जा रहा है:
  - (क) ऐसी सभी सेवाएं जिनके अन्तर्गत ऐसी नैदानिक सेवाएं भी हैं जो वर्ष के किसी भाग के दौरान अंतरंग रोगी उपचार के लिए पच्चीस से अधिक बिस्तरों वाले केन्द्रीय रूप से वातानुकूलित (पूर्णतः या आंशिकतः) नैदानिक स्थापन द्वारा प्रदान की जाती हैं;
  - (ख) प्रयोगशाला या अन्य चिकित्सीय उपकरण की सहायता से नैदानिक स्थापन द्वारा प्रदान की जा रही नैदानिक सेवाएं; और
  - (ग) किसी ऐसे चिकित्सक द्वारा, जो नैदानिक स्थापन का कर्मचारी नहीं है, परन्तु ऐसे स्थापन के परिसर से प्रदान की गई सेवाएं।

उपरोक्त (क), (ख) और (ग) के अधीन स्वास्थ्य सेवाओं को व्यापक रूप से सम्मिलित किए जाने को ध्यान में रखते हुए, विद्यमान स्वास्थ्य सेवाएं जहां बीमा कंपनी या कारबार अस्तित्वों द्वारा संदाय सीधे किया जाना अपेक्षित है, वहां अब प्रचालन में नहीं रहेंगी।

उपरोक्त परिवर्तन, वित्त विधेयक, 2011 के अधिनियमन के पश्चात् अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रभावी होंगे।

### III छूट

- (1) भारत के बाहर आयोजित कारबार प्रदर्शनियों के संबंध में कारबार प्रदर्शनियों के आयोजकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को छूट प्रदान की जा रही है।
- (2) तटीय और अन्तर्देशीय पोत परिवहन के माध्यम से माल के परिवहन, के अधीन सेवा कर के उद्ग्रहण के प्रयोजन के लिए कराधेय मूल्य से 25% की कमी प्रदान की जा रही है।
- (3) "जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन" और राजीव आवास योजना" के अधीन नए आवासीय काम्पलेक्स के संनिर्माण या तैयार करने के लिए प्रदान की गई "संकर्म संविदा" सेवा को छूट प्रदान की जा रही है।
- (4) विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए "संकर्म संविदा" सेवा के अधीन पत्तन या अन्य पत्तन या किसी वायुपत्तन के भीतर प्रदान की गई सेवाओं को छूट प्रदान की जा रही है।
- (5) "साधारण बीमा" सेवा के अधीन "राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना" को छूट प्रदान की जा रही है।

- (6) सीमा शुल्कों को प्रभारित करने के लिए माल के निर्धारणीय मूल्य में सम्मिलित वायुयान भाड़े के मूल्य को "वायुयान द्वारा माल का परिवहन" सेवा के अधीन सेवा कर के उद्ग्रहण के प्रयोजन के लिए कराधेय मूल्य से अपवर्जित किया जा रहा है।
- (7) सड़क, रेल या वायुमार्ग से माल के परिवहन से संबद्ध सेवाओं को, जब उद्गम और गंतव्य दोनों ही भारत से बाहर अवस्थित हों सेवा कर से छूट प्रदान की जा रही है।
- (8) सेज यूनितों और विकासकर्ताओं के लिए सेवा कर का प्रतिदाय करने के लिए उपांतरित स्कीम को आरंभ किया जा रहा है और अधिसूचना सं. 9/2009- एस.टी. को अधिक्रान्त किया जा रहा है। उपांतरित स्कीम में "पूर्णतः उपयोग की गई" सेवाओं को "तत्काल छूट" विस्तारित करने के लिए और आनुपातिक आधार पर सभी अन्य सेवाओं के प्रतिदाय को अनुज्ञात करने के लिए अधिसूचना में परिभाषित किया जा रहा है।
- क्र. सं. (1) से क्र. सं. (5) और क्रम सं. (8) पर के परिवर्तन तुरन्त प्रभावी होंगे। क्रम सं. (6) और क्रम सं. (7) पर के परिवर्तन 01-04-2011 से प्रभावी होंगे।

#### IV छूटों का वापस लिया जाना या उनमें संशोधन

- (1) वायुयान द्वारा यात्रा पर सेवा कर की दरें निम्नलिखित रूप में पुनरीक्षित की जा रही हैं :
- (क) घरेलू यात्रा (मितव्ययी वर्ग) : 100 रुपए से 150 रुपए;
- (ख) अन्तरराष्ट्रीय यात्रा (मितव्ययी वर्ग) : 500 रुपए से 750 रुपए;
- (ग) घरेलू यात्रा (मितव्ययी वर्ग से भिन्न) : 10% (मानक दर)।
- उपरोक्त परिवर्तन 1-4-2011 से प्रभावी होंगे।
- (2) "क्लब या संगम सेवा" के अधीन सदस्यता शुल्क पर सेवा कर से छूट 16-6-2005 से 31-3-2008 तक की अवधि के लिए उद्योग या वाणिज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले संगमों या चैम्बरों को प्रदान की जा रही है।
- (3) 1-4-2000 से 6-7-2009 तक की अवधि के लिए संविदा वहन अनुज्ञापन या पर्यटक यान अनुज्ञापन वाले यान में अन्तर्राज्यीय या अन्तर्राज्यीय यात्री परिवहन पर सेवा-कर से छूट देने वाली अधिसूचना सं. 20/2009-एस.टी. तारीख 7-7-2009 को भूतलक्षी प्रभाव दिया जा रहा है।
- क्रम सं. (2) और क्रम सं. (3) पर के परिवर्तनों को वित्तीय विधेयक, 2011 के माध्यम से प्रभावी किया जा रहा है और वे विधेयक के अधिनियमन की तारीख से प्रभावी होंगे।

#### V नियमों और अधिसूचनाओं में संशोधन

- (1) सेवा कर नियम, 1994 के नियम 6 (4ख) (iii) के अधीन समायोजन के लिए 1,00,000 रुपए की धनीय सीमा को 2,00,000 रुपए तक बढ़ाया जा रहा है।
- [यह परिवर्तन 1-4-2011 से प्रभावी होगा]
- (2) सेवा कर नियम, 1994 के नियम 6 (7क) का यह उपबंध करने के लिए संशोधन किया जा रहा है कि जीवन बीमा का कारबार करने वाले किसी बीमाकर्ता को :
- (क) पालिसी धारक से प्रभारित सकल प्रीमियम की रकम पर जो विनिधान के लिए आंबटित रकम को घटाकर वहां आए, जहां विनिधान के लिए आंबटित रकम का विवरण पालिसीधारक को पृथक् रूप से दर्शाया गया है;
- (ख) ऊपर (i) से भिन्न मामलों में पालिसीधारक से भारित प्रीमियम की सकल रकम की 1.5% की दर पर संगणित रकम पर;
- वित्त विधेयक 1994 की धारा 66 में विहित दर पर सेवा कर संदाय करने के बजाए अपने सेवा कर दायित्व के निर्वहन मद्दे कर का संदाय करने का विकल्प प्राप्त होगा।
- ऐसा विकल्प उन मामलों में उपलब्ध नहीं होगा जहां पालिसी धारक द्वारा संदत संपूर्ण प्रीमियम केवल जीवन बीमा में जोखिम कवर के लिए है। (उपरोक्त परिवर्तन वित्त विधेयक, 2011 के अधिनियमन के पश्चात् अधिसूचना की जाने वाली तारीख से प्रभावी होगा।)
- (3) विदेशी मुद्रा के विक्रय तथा क्रय से संबंधित सेवा कर नियम, 1994 के नियम 6 (7) के खंड (ख) को, -
- (क) परन्तुक और दृष्टान्त का लोप करने के लिए; और
- (ख) सेवा कर दायित्व के निर्वहन के लिए विनिमय की गई करेन्सी की कुल रकम की समेकित दर को 0.25% से घटाकर 0.1% करने के लिए संशोधित किया जा रहा है।
- (4) सेवा कर नियम, 1994 में नियम 6 (6क) यह उपबंध करने के लिए अन्तः स्थापित किया जा रहा है कि यदि सेवा कर की किसी रकम का स्वतः निर्धारण किया गया है और संदाय नहीं किया गया है, तो वह अधिनियम की धारा 87 के अधीन ब्याज सहित वसूलनीय होगी। इस प्रकार धारा 73 के उपबंधों का आश्रय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- (5) सेवा कर (मूल्य का अवधारण) नियम, 2006 में यह परिभाषित किया जा रहा है कि :
- (i) भारतीय रुपए से या उसमें परिवर्तित की गई करेन्सी के लिए मुद्रा परिवर्तन सेवा का मूल्य, यथा स्थिति, क्रय दर या विक्रय दर और उस दिन के लिए उस करेन्सी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की निर्देश दर में अन्तर से गुणित विनिमय की गई करेन्सी की यूनितों के बराबर होगा;
- (ii) जहां भारतीय रिजर्व बैंक निर्देश दर उपलब्ध नहीं है वहां करेन्सी के लिए मुद्रा परिवर्तन सेवा का मूल्य मुद्रा परिवर्तन करने वाले व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराई गई या प्राप्त की गई भारतीय रुपए की सकल रकम का 1% होगा;
- (iii) जहां किसी भी करेन्सी का भारतीय रुपए में विनिमय नहीं किया जाता है वहां मुद्रा परिवर्तन सेवा का मूल्य उन दोनों रकमों में से निम्नतर के 1% के समान होगा जिन्हें धन परिवर्तन करने वाले व्यक्ति ने उस दिन दो करेन्सियों को भारतीय रुपए में से किसी करेन्सी को संपरिवर्तित करके प्राप्त किया होता।

- (6) यह स्पष्ट करने के लिए सेवा कर (मूल्य अवधारण) नियम, 2006 के नियम 5(1) में एक स्पष्टीकरण जोड़ा जा रहा है कि दूरसंचार सेवाओं के प्रयोजन के लिए, कराधेय सेवा का मूल्य सेवा प्राप्तकर्ता से टेलीग्राफ प्राधिकारी द्वारा प्रभारित सकल रकम होगी।
- (7) सेवा निर्यात नियम, 2005 और कराधान सेवा (भारत से बाहर प्रदान की गई और भारत में प्राप्त की गई) नियम, 2006 को संशोधित किया जा रहा है जिससे विनिर्दिष्ट सेवाओं में से कुछ सेवाओं को एक प्रवर्ग से दूसरे प्रवर्ग में अंतरित किया जा सके।  
[क्रम सं. (3) से क्रम सं. (7) पर के परिवर्तन 1-4-2011 से प्रभावी होंगे]
- (8) यह उपबंध करने के लिए संकर्म संविदा (सेवा कर के संदाय के लिए समेकित स्कीम) के नियम 3 में उपनियम (2क) अन्तःस्थापित किया जा रहा है कि "संकर्म संविदा सेवा" प्रदान करने वाले किसी व्यक्ति को यथा उपलब्ध "निर्माण, चालू करना या संस्थापन; वाणिज्यिक या औद्योगिक संनिर्माण" और "परिसर संनिर्माण" सेवाओं की अन्तःनिवेश सेवाओं पर कर प्रत्यय संदत्त कर का 40% तक तब निर्बंधित किया जाएगा जब ऐसा कर अन्तर्निवेश पर सेनवेट प्रत्यय का लाभ लेने के पश्चात् सेवा के पूर्ण मूल्य पर संदत्त किया गया है।  
[क्रम सं. (8) पर परिवर्तन 01-3-2011 से प्रभावी होंगे]

## VI अधिनियम में संशोधन

वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 का निम्नलिखित के लिए संशोधन किया जा रहा है :—

- (1) धारा 73 की उपधारा (1क) का इस धारा की उपधारा (2) के दोनों परंतुकों के साथ लोप करें। इसके परिणामस्वरूप, धारा 73 (1क) के परन्तुक के अधीन कपट दुरभिसंधि, आदि के मामलों में उपलब्ध शास्ति में कमी का फायदा उपलब्ध नहीं होगा। इसके अतिरिक्त ऐसे मामलों में कम शास्ति का उपबंध करने के लिए धारा 73 में एक नई धारा 1क वहां अन्तःस्थापित की जा रही है जहां लेखा परीक्षा, सत्यापन या अन्वेषण के दौरान यह पाया जाता है कि विभाग को रिपोर्ट नहीं किए गए संव्यवहार अभिलेखों या बीजकों में उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, अधिकतम 25% के अधीन रहते हुए शास्ति को कर की रकम का 1% प्रतिमास तक घटाया जा रहा है।
- (2) धारा 76 के अधीन विलंबित संदाय के लिए शास्ति प्रतिमाह 2% से घटा कर 1% या 100 रुपए प्रतिदिन जो भी अधिक हो करने की अधिकतम शास्ति को कर रकम के 50% तक कम किया गया है।
- (3) धारा 77 के अधीन अधिकतम शास्ति को 5000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए करना।
- (4) अधिकतम शास्ति को पुनरीक्षित करने के लिए धारा 78 का संशोधन करना। इसके पश्चात्, शास्ति अनिवार्य और अपवंचित कर के बराबर होगी। इसके अतिरिक्त, धारा 4क के अन्तर्गत आने वाली परिस्थितियों में, शास्ति कर रकम की 50% होगी। इसके अतिरिक्त, शास्ति को घटाकर 25% किया जा रहा है यदि कर बकाया का ब्याज और घटाई गई शास्ति सहित एक मास के भीतर संदाय कर दिया जाता है। कारण बताओ सूचना के अंतर्गत आने वाले किसी वर्ष में या पूर्ववर्ती वर्ष में 60 लाख रुपए तक की आवर्त रखने वाले निर्धारितियों के लिए, एक मास की अवधि को पुनरीक्षित कर 90 दिन कर दिया गया है।
- (5) धारा 73ख और धारा 75 दोनों के अधीन 60 लाख रुपए तक की आवर्त वाले निर्धारितियों के लिए ब्याज दर घटाकर 3% तक करना।
- (6) धारा 70 के अधीन विवरणी फाइल करने में विलंब के लिए अधिकतम शास्ति को 2000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए करने। तथापि, सेवा कर नियम, 1994 के नियम 7ग के अधीन पहले 15 दिन के लिए शास्ति की विद्यमान दर और पश्चात्पूर्वी 15 दिन भी शास्ति की दर और तत्पश्चात् 100 रुपए प्रति दिन की दैनिक शास्ति को बिना किसी परिवर्तन के प्रतिधारित किया जा रहा है।
- (7) धारा 80 के अधीन शास्ति का अभियोजन करने की शक्ति का संशोधन करने। यद्यपि धारा 76 और धारा 77 के अधीन शास्तियों को प्रतिधारित किया जा रहा है, वहीं धारा 78 के अधीन शास्ति का अभियोजन केवल ऐसे मामलों में किया जा रहा है, जहां संव्यवहारों को विनिर्दिष्ट अभिलेखों में रखा जाता है।
- (8) संयुक्त आयुक्त के स्तर पर धारा 82 के अधीन तलाशी वारंट जारी करने और अधीक्षक के स्तर पर ऐसे वारंट को निष्पादित करने की शक्ति प्रदान करने।
- (9) केन्द्रीय उत्पादशुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 9क, धारा 9कक, धारा 9ख, धारा 9ड, धारा 34क और नई धारा 35द को धारा 83 के अधीन सेवा कर को लागू करने।
- (10) एक नयी धारा 88 अन्तःस्थापित की जा रही है जिससे कंपनी अधिनियम की धारा 529क, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध ऋण वसूली अधिनियम, 1993 और वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति ब्याज का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे व्यतिक्रमी से सेवा कर शोध्यों की वसूली के लिए व्यतिक्रमी की संपत्ति पर प्रथम भार सृजित किया जा सके।
- (11) धारा 89 के अधीन अभियोजन से संबंधित उपबंधों को निम्नानुसार पुनः लागू करना :

(i) निम्नलिखित परिस्थितियों में अभियोजन लागू होगा :

(क) बीजक के बिना सेवा का उपबंध;

(ख) अंतर्निवेशों या अंतर्निवेश सेवाओं की प्राप्ति के बिना सेनवेट प्रत्यय का लाभ लेना और उसका उपयोग करना;

(ग) मिथ्या सूचना प्रस्तुत करना; और

(घ) छह मास से अधिक की अवधि के लिए सेवा कर की संगृहीत रकम का संदाय न करना।

(ii) अभियोजन की मंजूरी मुख्य आयुक्त के स्तर पर प्रदान की जाएगी।

उपरोक्त परिवर्तन उस तारीख से प्रभावी होंगे, जो वित्त विधेयक, 2011 के अधिनियमन के पश्चात् अधिसूचित की जानी है।

## VII कराधान का समय नियम, 2011

कराधान का समय नियम, 2011 को विरचित किया गया है और 01.04.2011 से प्रभावी किया गया है। ये नियम उस समय का अवधारण करेंगे, जब सेवाओं को उपलब्ध करा दिया गया समझा जाएगा।